




SERVICE RULES & REGULATION MANUAL - 2013

(Approved by the Executive Committee of Madhya Pradesh Council of Science and Technology in its 53rd meeting held on 08 October, 2012)



Madhya Pradesh Council of Science & Technology
[Dept. of Science & Technology, Govt. of M.P.]
Vigyan Bhawan, Bhopal - 462 003

Phone : 0755 – 2671800 Fax : 0755 - 2671600

E-mail : dg@mpcost.nic.in

Web: www.mpcost.nic.in

PREFACE


The Executive Committee of Madhya Pradesh Council of Science & Technology in its 53rd meeting held on 08 October, 2012 approved the Service Rules and Regulation Manual 2013 for the Council employees. The Service Rules and Regulation Manual 2013 are in the following pages :-


General Instructions:

1. The Service Rules and Regulation Manual 2013 will be come in to force with effect from 01st April, 2013.
2. The rules of Govt. of M. P. would be applicable where the Council has no rules on a particular subject. If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Director General, MPCST whose decision shall be final.
3. For Staff Recruited for Projects :

The project staff should be engaged for a fixed period as and when required. Their project services shall not be treated as regular service. This will also apply to present project staff. The Service Rules of MPCST shall not apply to the project employees.


Deputy Director (Financial)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. वि. एवं प्रौद्योगिकी परिषद


Prasad K. Verma

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महाविदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

**M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
BHOPAL, MADHYA PRADESH**

SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

The service rules & regulation manual 2013 shall come in to effect from 01.04.2013

Rule : 1 - Recruitment Rules


1. Short title and commencement:


These Rules shall be called the M P Council of Science & Technology Service Recruitment Rules 2013. These Rules shall come into force with effect from the date, as the Executive Council may decide.


2. Definition

In these Rules unless the context otherwise requires:

- a. "Appointing Authority" means the Director General or the Authority decided to be the Appointing Authority by the Governing Council.
- b. "Committee" means the Committee constituted for the purpose under these Rules.
- c. "Schedule" means the schedule appended to these Rules.
- d. "Service" means the M P Council of Science & Technology Service.
- e. "MPCST" means the M P Council of Science & Technology, Bhopal.
- f. "Executive Committee" means the Governing Council of MPCST.
- g. The "Director General" means the Director General of MPCST.
- h. The "Executive Director" means the Executive Director of MPCST.
- i. "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clause (24) and (25) respectively of the constitution and as are modified as such by the State Government from time to time.


प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL



3. Application

- i. These Rules shall, as from the date of commencement, apply every member in service of MPCST.
- ii. These rules shall not apply to staff engaged for projects or on contract unless specified.

4. Construction of Service

The Service shall consist of the following persons, namely:

- i. Persons, who at the commencement of these Rules are holding substantively or in the officiating capacity, the post specified in Schedule - I.
- ii. The service rules of MPCST shall not apply to the Project Staff of any category. The Project Staff shall be engaged for a fixed period may be continued thereafter as per requirement of the Project. However, in any case the Project Staff shall not be treated as in regular service.

5. Classification Scale

The Classification of service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I thereto annexed.

6. Method of Recruitment

1. Recruitment to the service, after the commencement of these Rules shall be by the following methods :-
प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

- a. By direct recruitment through competitive examination or by selection or by both.
- b. By promotion of members of the service.
- c. By transfer or deputation from State Government, Government of India or any other Organisation as may be decided by the appointing authority for filling of the post.

2. The number of persons recruitment under clause (b) or

Deputy Director (Finance)
M P Council of Science & Technology
BHOPAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद





clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the number of duty post as specified in Schedule - II.

3. Subject to the provision of these Rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the services as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Selection Committee.

4. Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribed provided that a method not provided in the Rules shall not be adopted except with the approval of the Executive Council.

5. Applications for direct recruitment under rule 6(1) above shall be invited through the publication of advertisement in the local/national news papers and/or inviting names of candidates from Employment Exchange/ Sainik Kalyan Board/ any other such agency.


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद

7. Appointment to the Service

After the commencement of these Rules, all appointments in the service under MPCST shall be made by the Appointing Authority following one of the methods of recruitment specified in Rule 6.



8. Conditions of eligibility for direct recruitment

In order to be eligible to compete at the examination or to be selected in the interview or both, a candidate shall be required to fulfill the standard of direct recruitment in regard to age, academic qualification and experience as laid down in Schedule - III.

- The upper age limit shall be relaxable for various categories of candidates (SC,ST, Female, PWD etc.) as per Government rules.
- The upper age limit shall be relaxable by 3 years in respect of candidate who is either a permanent or temporary employee of MPCST. The above age limit shall also be admissible to a candidate who is a contingent employee of MPCST.

9. Fee

A candidate applying for the appointment to any post in the service must deposit such fees, as may be prescribed by the Appointing Authority along with the application.

10. Disqualification

- Any attempt on the part of the candidate to obtain support for his candidature by any means held unfair by the Committee or by the Appointing Authority shall disqualify him for selection.
- A candidate found guilty of impersonation at the time of selection or examination or submitting fabricated documents, which have been tampered with or making statements which are incorrect or suppressing material information or of using unfair means for obtaining admission to the selection shall not be eligible for selection or appointment under MPCST.

H
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद

11. Decision of the Appointing Authority about the eligibility of candidates

The decision of the Appointing Authority as to about the eligibility of candidate for admission to the service shall be final and binding on the candidate.



examination or selection shall be final.

12 Direct Recruitment

Competitive Examination or the selection for direct recruitment to the post shall be held at such interval as the Appointing Authority may from time to time determine. A Selection Committee as mentioned in Schedule-III shall be constituted by the Appointing Authority to select suitable candidates for each post. A percentage of the available vacancies for direct recruitment at any point of time shall be reserved for candidates who are member of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ OBC etc. as prescribed by the Government.

13. List of Candidates recommended by the selection committee

1. The selection committee shall forward to the Appointing Authority the names & other details of the candidates whom they considered suitable duly arranged in order of merit on the basis of assessment made either through the competitive examination or by selection or by both.
2. The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.
3. Subject to the provision of these Rules candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

14. Appointment by promotion (पदोन्नति) / placement (क्रमोन्नति)

Departmental Promotion Committee consisting of members to be nominated by the Appointing Authority shall be constituted from time to time as per schedule IV for recommending a list of suitable candidates to be considered for promotion/ placement to the post indicated to be filled up by promotion/

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
ए.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद
MPCST
COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

placement as shown in schedule I.

15. Condition for eligibility for promotion (पदोन्नति)/ placement (क्रमोन्नति).

The Committee shall consider the cases of all persons who on the last day of the month, preceding to the date of the meeting of the Committee have completed such number of years of service on the post from which promotion/ placement is to be made on any post or posts mentioned in Schedule IV.

Each eligible candidate for promotion (पदोन्नति)/ placement (क्रमोन्नति) will be required to furnish details of the duty performed and achievements in the prescribed form as specified by MPCST from time to time.

16. Preparation of list of suitable officials for promotion/ placement

For Placement :

The selection of candidates for placement shall be made by the procedures laid down in Schedule IV.

For Promotion :


1. The Committee shall prepare a list of such persons satisfying the conditions prescribed in Rule (15) and as are found by the Committee to be suitable for promotion/ placement to the post.

2. The selection for inclusion in such a list shall be based on merit in respect of posts of Class-I and II and basis of selection for the posts belonging to Class-III and IV shall be seniority with due regard to merit.

3. The names of officials included in the list shall be arranged in order of their seniority in the service of the particular cadre from which they have to be promoted.

Provided that in the case of such post as decided to be filled on the basis of merit only the names of suitable persons shall be arranged in the order of merit determined by the Committee without any regard


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
स.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्





to their seniority. In the case of two or more officials holding equal merit be arranged in order of their seniority.

4. If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any person on the ground of unsuitability, the Committee shall record in brief its reasons for the proposed supercession.
5.
 - i. Departmental promotion committee shall meet at least once a year even if there is no case.
 - ii. Meeting of the DPC shall be held on the 30th June every year or any other subsequent date within the following month to draw up a list of persons eligible for promotion on the 30th June of that year.
 - iii. The post for which there is no channel for promotion/ placement will be governed by the M P Govt. rules regarding time scale.

17. Select List

1. The Appointing Authority shall consider the list and approve it, unless it considers any changes are called for in it. If the Appointing Authority considers any changes in the list necessary, he will consult the Committee again which may revise the list after recording reasons for revision in writing.
2. The list finally approved by the Appointing Authority shall constitute the select list.
3. The select list shall remain in force for a period of 06 months from the date of its finalisation by the Appointing Authority or a fresh list is prepared, whichever is earlier. Provided that, in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list noticed


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
स.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्



during the period of the validity of the list, a special review in respect of the official concerned shall be made by the Committee at the instance of the Appointing Authority and his name may be removed, if it is considered necessary.

18 Appointment to the post from the select list

Appointment of persons included in the select list to appropriate post shall follow the order in which names of persons appear in the select list. Provided that where administrative exigencies so require a person who is not next in order in the selection list may be appointed for which the reasons may be recorded in writing. This will held good for temporary vacancies also.

19. Probation

Every person who is directly recruited shall be appointed on probation of Two years. The Appointing Authority may extend the period of probation.

20. Retirement

The age of retirement shall be 60 (sixty) years.

21. Interpretation

If any question arises relating to the interpretation to these rules it shall be referred to the Director General, MPCST whose decision shall be final.

22. Relaxation

Nothing contained in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Director General to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any procedural manner less favorable to person concerned than that provided in these Rules.

23. Repeal and savings

All rules corresponding to these Rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by those

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
सू.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्



rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been taken under the corresponding provisions of these Rules.

Rule : 2 – Pay, Pension and Gratuity Rule

Pay-The M P Council of Science & Technology employees, in the matter of their pay and allowances and pension would be governed by the State Govt. rules as amended from time to time and as adopted by the Council as per Schedule I of council recruitment rule.

Pension- As regards entitlement and payment of pension, they will be regulated according to the provisions of Employees Pension Scheme 1995 (Schedule - V) (being implemented by Regional Provident Fund Commissioner).

The contribution of the employees towards Contributory Provident Fund shall be according to the Employees Provident Funds Miscellaneous Provisions Act 1952.

Gratuity - Through Life Insurance Corporation (Schedule - VI)

Rule : 3 – Travelling Allowance Rules : As per Government Rule

Rule : 4 – House Rent Allowance Rules : As per Government Rule

Rule : 5 – Reimbursement of Medical Charges Rules : As per Government Rule

Rule : 6 – Leave Rules : As per Government Rule

Rule : 7 – Civil code of conduct Rule : As per Government Rule

Rule : 8 – Allotment of Council Quarters Rules : As per Council Rule (Schedule VII)

Rule : 9 – Rules regarding grant of Advances to the employees :

The sanctioning and payment of the following advances to the employees of the M P Council of Science & Technology would be regulated according to the State Government rules on the subject.

1. Interest free advances
Tour advance/Transfer advance/Medical treatment advance.

[Signature]
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPLA

[Signature]
अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद



[Signature]
प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महाविद्यालय
समूह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

- ii. Festival advance (Republic day and Independence day, Diwali, Holi, Dusshera, ID, Christmas).
2. Interest bearing Advances
 - i. Grain advance
3. Special or Miscellaneous Advance :


The Director General of MPCST or the authority empowered by him may sanction to any employee a special or miscellaneous advanced if he is satisfied that such financial assistance is needed by the employee due to reasons of fire, flood, theft, or any other genuine hard ship. The maximum amount which could be sanctioned shall not exceed Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only) and this may be sanctioned on such terms and conditions as may be considered suitable.

Note : Where Council rule does not exists, the M P Government Rules will be applicable.


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL




अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्



प्रो. प्रबोध के. वर्मा
सहायक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्




List of Annexures

| | |
|-----------------|---|
| Schedule – I | सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या |
| Schedule – II | सेवा में भर्ती का तरीका |
| Schedule – III | सीधी भर्ती किये जाने वाले पदों पर नियुक्ति हेतु व्यक्तियों की आयु, आवश्यक अहर्ता तथा अतिरिक्त योग्यता |
| Schedule – IV | क्रमोन्नति योजना |
| Schedule – V | पदोन्नति / क्रमोन्नति के लिए आवेदन हेतु निर्धारित सेल्फ एसेसमेंट प्रोफार्मा |
| Schedule – VI | पेंशन |
| Schedule – VII | Gratuity |
| Schedule – VIII | Allotment of Council quarters |



Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL



अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्



प्रो. प्रमोद के. शर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्



Schedule – I


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद


प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महप्रतिबंधक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

अनुसूची-1

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

| सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|--|----------------|----------------|---|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| महानिदेशक एवं वैज्ञानिक सलाहकार, म. प्र. शासन | 01 | प्रथम श्रेणी | मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के समान वेतन | नियुक्ति शासन द्वारा |
| केन्द्र (सेन्टर) | | | | |
| 1. सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर) | | | | |
| 1 निदेशक | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+10000 | खुली प्रतियोगिता द्वारा |
| 2 मुख्य वैज्ञानिक | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 3 वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8700 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 4 प्रधान वैज्ञानिक | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 वरिष्ठ वैज्ञानिक | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 6 वैज्ञानिक | 35 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 2. ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र (रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेन्टर) | | | | |
| 1 निदेशक | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+10000 | खुली प्रतियोगिता द्वारा |
| 2 मुख्य वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्प्युटेशन/कृषि अभियांत्रिकी/प्रोडक्ट डिजाइनिंग/मैकेनिकल इंजीनियरिंग/रूरल डेवेलपमेंट/वाटर सप्लाय मैनेजमेंट) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | क्रमोन्नति द्वारा |

M.P. Council of Science & Technology
Deputy Director (Financial)

अतिरिक्त श्रीवास्तव
कार्याकारी संचालक
म.प्र.सि. एवं प्रौ. परिषद



श्री. श्रीवास्तव
कार्याकारी संचालक
म.प्र.सि. एवं प्रौद्योगिकी परिषद

20/10/2013

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

M.P. Council of Science & Technology
Deputy Director (Finance)
BHOPAL

श्रीवास्तव
कार्यालय सहायक
प्र. प्र. एवं प्रौ. परिषद



| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|--|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्युनिकेशन/कृषि अभियांत्रिकी/प्रोडक्ट डिजाइन /मैकेनिकल इंजीनियरिंग/रूरल डेव्लपमेंट /वाटरशेड मैनेजमेंट) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8700 | क्रमोन्नति द्वारा |
| | प्रधान वैज्ञानिक (इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्युनिकेशन/कृषि अभियांत्रिकी/प्रोडक्ट डिजाइन /मैकेनिकल इंजीनियरिंग/रूरल डेव्लपमेंट /वाटरशेड मैनेजमेंट) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्युनिकेशन/कृषि अभियांत्रिकी/प्रोडक्ट डिजाइन /मैकेनिकल इंजीनियरिंग/रूरल डेव्लपमेंट /वाटरशेड मैनेजमेंट) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 6 | वैज्ञानिक इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्युनिकेशन | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक प्रोडक्ट डिजाइन | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक रूरल डेव्लपमेंट | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक वाटरशेड मैनेजमेंट | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 3. मौसम परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र (क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेन्टर) | | | | | |
| 1 | निदेशक | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+10000 | खुली प्रतियोगिता द्वारा |
| 2 | मुख्य वैज्ञानिक (इनवायरमेंटल साइन्स/कम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स/एटोमोस्फेरिक साइन्स जियोइन्फॉर्मेटिक्स/ डेटिंग टेक्नोलॉजी/इनवायरमेंटल मॉडलिंग) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | क्रमोन्नति द्वारा |

प्र. प्र. एवं प्रौ. परिषद
कार्यालय सहायक
प्र. प्र. एवं प्रौ. परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

M.P. Council of Science & Technology
Deputy Director (Finance)

श्रीवत् श्रीवत्सव
कार्यकारी सचिव
स.स. वि. एवं प्रौ. परिषद

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|---|--|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइन्स / कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स / एटोमोस्फेरिक साइन्स / जियोइन्फोमेटिक्स / डेटिंग टेक्नोलॉजी / इनवायरमेन्टल मॉडलिंग) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8700 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 4 | प्रधान वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइन्स / कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स / एटोमोस्फेरिक साइन्स / जियोइन्फोमेटिक्स / डेटिंग टेक्नोलॉजी / इनवायरमेन्टल मॉडलिंग) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइन्स / एटोमोस्फेरिक साइन्स / डेटिंग टेक्नोलॉजी / जियोइन्फोमेटिक्स / इनवायरमेन्टल मॉडलिंग / कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 6 | वैज्ञानिक इनवायरमेन्टल साइन्स | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक एटोमोस्फेरिक साइन्स | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक डेटिंग टेक्नोलॉजी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक जियोइन्फोमेटिक्स | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक इनवायरमेन्टल मॉडलिंग | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 4. अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (स्पेस साइंस रिसर्च सेन्टर) | | | | | |
| 1 | निदेशक | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+10000 | खुली प्रतियोगिता द्वारा |
| 2 | मुख्य वैज्ञानिक (प्लेनेटेरियम / स्पेस साइंस / वैशाला / एस्ट्रोनॉमी / भौतिकी) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | क्रमोन्नति द्वारा |

श्री. वत्सव के वर्ग
श्री. वत्सव के वर्ग
श्री. वत्सव के वर्ग

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|---|---|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (प्लेनेटेरियम / स्पेस साइंस / वेधशाला / एस्ट्रोनॉमी / भौतिकी / गणित) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8700 | क्रमोन्नति द्वारा |
| | प्रधान वैज्ञानिक (प्लेनेटेरियम / स्पेस साइंस / वेधशाला / एस्ट्रोनॉमी / भौतिकी / गणित) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक (प्लेनेटेरियम / स्पेस साइंस / वेधशाला / एस्ट्रोनॉमी / भौतिकी / गणित) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 6 | वैज्ञानिक प्लेनेटेरियम | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक स्पेस साइंस | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक वेधशाला | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक भौतिकी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक गणित | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 5. उन्नत शोध एवं उपकरण सुविधा केन्द्र (एडवांस रिसर्च एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी सेन्टर) | | | | | |
| 1 | निदेशक | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+10000 | खुली प्रतियोगिता द्वारा |
| 2 | मुख्य वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी / इन्स्ट्रुमेंटेशन / जिनोमिक्स / टिशू कल्चर / बायोकैमेस्ट्री / केमेस्ट्री) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी / इन्स्ट्रुमेंटेशन / जिनोमिक्स / टिशू कल्चर / बायोकैमेस्ट्री / केमेस्ट्री) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8700 | क्रमोन्नति द्वारा |

M.P. Council of Science & Technology
Deputy Director (Finance)
Bhopal

अभिमत शीघ्रस्वर
कार्यकारी संचालक
परिधि एवं प्रौ. परिषद



श्री. प्रदीप क. वर्मा
नामित
परिधि एवं प्रौ. परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अजित शrivastava
कार्याकारी संचालक
म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद



| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|--|--|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | प्रधान वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी / इन्स्ट्रुमेंटेशन / जिनोमिक्स / टिश्यू कल्चर / बायोकेमेस्ट्री / केमेस्ट्री) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी / इन्स्ट्रुमेंटेशन / जिनोमिक्स / टिश्यू कल्चर / बायोकेमेस्ट्री / केमेस्ट्री) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 6 | वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक इन्स्ट्रुमेंटेशन | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक जिनोमिक्स | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक टिश्यू कल्चर | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक बायोकेमेस्ट्री | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| | वैज्ञानिक केमेस्ट्री | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| प्रोजेक्ट्स (परियोजनाएं) | | | | | |
| 1 | मुख्य परियोजना संचालक | 03 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | विभागीय पदोन्नति द्वारा |
| 2 | परियोजना संचालक | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8700 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 3 | संयुक्त परियोजना संचालक | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 4 | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 | वैज्ञानिक अधिकारी | 09 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| कार्टोग्राफर | | | | | |
| मृत संवर्ग (डाइंग केडर) - पद रिक्त होने पर वह पद स्वतः तकनीकी सहायक के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। | | | | | |
| 1 | प्रमुख कार्टोग्राफिक अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100 + 7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 2 | वरिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100 + 6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 3 | कार्टोग्राफिक अधिकारी | | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100 + 5400 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 4 | कनिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी | | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800 + 4200 | क्रमोन्नति द्वारा |

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | कार्टोग्राफर | 13 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800 + 3600 | कार्टोग्राफर पद पर नवीन नियुक्ति नहीं होगी। रिक्त पर तकनीकी सहायक की नियुक्ति होगी। |

तकनीकी सहायक

वर्तमान तकनीकी सहायक के पद के अतिरिक्त, कार्टोग्राफर के पद रिक्त होने पर वह पद भी तकनीकी सहायक में परिवर्तित होगा एवं तदनुसार पद उपलब्ध होने पर इनको भरा जाएगा।

| | | | | | |
|---|-----------------------|----|----------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | प्रमुख तकनीकी अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100 + 7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 2 | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100 + 6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 3 | तकनीकी अधिकारी | | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100 + 5400 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 4 | कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी | | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800 + 4200 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 5 | तकनीकी सहायक | 25 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800 + 3600 | सीधी भर्ती द्वारा |

प्रशासन

| | | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------------|-------------------------------|--|
| 1 | कार्यकारी संचालक | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-4 रु. 37400-67000+8900 | प्रतिनियुक्ति द्वारा |
| 2 | संयुक्त संचालक | 04 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | 50% पदोन्नति/ 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा |
| 3 | उप संचालक (प्रशासन) | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | पदोन्नति |
| 4 | उप संचालक (लेखा) | 01 | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | पदोन्नति |
| 5 | सहायक संचालक (प्रशासन) | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | पदोन्नति |
| 6 | सहायक संचालक (लेखा) | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | पदोन्नति |
| 7 | सहायक संचालक (निज सहायक-महानिदेशक) | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 8 | संयुक्त संचालक (कम्प्यूटर) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 9 | उप संचालक (कम्प्यूटर) | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 10 | सहायक संचालक (कम्प्यूटर) | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 11 | जनसंपर्क अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |

Deputy Director (Financial)
M.P. Council of Science & Technology
BHO-PAL

कार्यकारी संचालक
कार्यकारी संचालक
उप संचालक

01
प्रथम श्रेणी
पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013


| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|------|--|----------------|----------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | उप जनसंपर्क अधिकारी | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 13 | सहायक जनसंपर्क अधिकारी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 14 | पुस्तकालयाध्यक्ष | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+7600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 15 | उप पुस्तकालयाध्यक्ष | | प्रथम श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+6600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 16 | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 17 | सहायक संचालक (फोटो) | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | मृत संवर्ग - रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होगा। |
| 18 | संपदा अधिकारी सह उपयंत्री सिविल | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती / सविदा / प्रतिनियुक्ति द्वारा (भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता) |
| 19 | सुरक्षा अधिकारी | 01 | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | सीधी भर्ती / सविदा / प्रतिनियुक्ति द्वारा (भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता) |
| 20 | अनुभाग अधिकारी | 08 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800+4200 | पदोन्नति द्वारा |
| 21 | निज सहायक | - | द्वितीय श्रेणी | पी.बी.-3 रु. 15600-39100+5400 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 22 | शीघ्र लेखक ग्रेड-2 | 04 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800+4200 | पदोन्नति द्वारा |
| 23 | शीघ्र लेखक ग्रेड-3 | 05 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800+3600 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 24 | सहायक (पुस्तकालय) | 02 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800+3600 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 25 | सहायक (कम्प्यूटर) | 01 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800+3600 | सीधी भर्ती द्वारा |
| 26 | सहायक ग्रेड-1 | 12 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-2 रु. 9300-34800+3600 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 27 | सहायक ग्रेड-2 | 18 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-1 रु. 5200-20200+2400 | क्रमोन्नति द्वारा |
| 28 | सहायक ग्रेड-3 | 26 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-1 रु. 5200-20200+1900 | सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा |
| 29 | मैकेनिक (इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) | 05 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-1 रु. 5200-20200+1900 | सीधी भर्ती / पदोन्नति द्वारा |
| 30 | वाहन चालक | 08 | तृतीय श्रेणी | पी.बी.-1 रु. 5200-20200+1900 | सीधी भर्ती |
| 31 | भृत्य | 38 | चतुर्थ श्रेणी | 1 एस रु. 4440-7440+1300 | सीधी भर्ती |

MP Council of Science & Technology
Deputy Director (Finance)
आपका श्रीकांत
कार्यालय संचालक
परिसर एवं प्रौ. परिसर




श्री. श्रीकांत
कार्यालय संचालक
परिसर एवं प्रौ. परिसर

Schedule – II


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL



अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद


प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महाविद्यालय
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

अनुसूची-II

भर्ती का तरीका

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | या अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा | टिप्पणी |
|--|---|----------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति / क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | महानिदेशक एवं वैज्ञानिक सलाहकार, म. प्र. शासन | 01 | | --- | --- | नियुक्ति शासन द्वारा |
| केन्द्र (सेन्टर) | | | | | | |
| 1. सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर) | | | | | | |
| 1 | निदेशक | 01 | 100% | --- | | |
| 2 | मुख्य वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 6 | वैज्ञानिक | 35 | 100% | --- | | |
| 2. ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र (रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेन्टर) | | | | | | |
| 1 | निदेशक | 01 | 100% | --- | | |
| 2 | मुख्य वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |



म.प्र. शासन एवं प्रौद्योगिकी विभाग
भर्ती शाखा
भोपाल

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

Director of Science & Technology
 Bhopal
 अतिरिक्त श्रीवास्तव
 कार्यकारी सचिव

| सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | मरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | या अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा | टिप्पणी |
|---|----------------|---|---|--------------------------------------|---------|
| | | सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति / क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्युनिकेशन | 01 | 100% | --- | | |
| 7 वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी | 01 | 100% | --- | | |
| 8 वैज्ञानिक प्रोडक्ट डिजाइन | 01 | 100% | --- | | |
| 9 वैज्ञानिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 01 | 100% | --- | | |
| 10 वैज्ञानिक रूरल डेव्लपमेंट | 01 | 100% | --- | | |
| 11 वैज्ञानिक वाटरशेड मैनेजमेंट | 01 | 100% | --- | | |
| 3. मौसम परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र (क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेन्टर) | | | | | |
| 1 निदेशक | 01 | 100% | --- | | |
| 2 मुख्य वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 वरिष्ठ वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 6 वैज्ञानिक इनवायरमेंटल साइन्स | 01 | 100% | --- | | |
| 7 वैज्ञानिक एटोमोस्फेरिक साइन्स | 01 | 100% | --- | | |
| 8 वैज्ञानिक डेटिंग टेक्नोलॉजी | 01 | 100% | --- | | |
| 9 वैज्ञानिक जियोइन्फॉमेटिक्स | 01 | 100% | --- | | |
| 10 वैज्ञानिक इनवायरमेंटल मॉडलिंग | 01 | 100% | --- | | |
| 11 वैज्ञानिक कम्यूटेशनल मेथमेटिक्स | 01 | 100% | --- | | |
| 4. अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (स्पेस साइंस रिसर्च सेन्टर) | | | | | |
| 1 निदेशक | 01 | 100% | --- | | |
| 2 मुख्य वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |



के. प्रदीप के. वर्मा
 सचिव
 अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

M.P.C.S.T.
 Director
 Department of Science & Technology
 Bhopal

अतिरिक्त सीनियर
 सहायक संचालक
 २०१३ के पी. एन. २०१३

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | या अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा | टिप्पणी |
|---|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------------------|---------|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति/क्रमोन्नति द्वारा | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 6 | वैज्ञानिक प्लेनेटोरियम | 01 | 100% | --- | | |
| 7 | वैज्ञानिक स्पेस साइंस | 01 | 100% | --- | | |
| 8 | वैज्ञानिक वेधशाला | 01 | 100% | --- | | |
| 9 | वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमी | 01 | 100% | --- | | |
| 10 | वैज्ञानिक भौतिकी | 01 | 100% | --- | | |
| 11 | वैज्ञानिक गणित | 01 | 100% | --- | | |
| ३. उन्नत शोध एवं उपकरण सुविधा केन्द्र (एडवांस रिसर्च एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी सेन्टर) | | | | | | |
| 1 | निदेशक | 01 | 100% | --- | | |
| 2 | मुख्य वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | प्रधान वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | वरिष्ठ वैज्ञानिक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 6 | वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी | 01 | 100% | --- | | |
| 7 | वैज्ञानिक इंस्ट्रुमेंटेशन | 01 | 100% | --- | | |
| 8 | वैज्ञानिक जिनोमिक्स | 01 | 100% | --- | | |
| 9 | वैज्ञानिक टिश्यू कल्चर | 01 | 100% | --- | | |
| 10 | वैज्ञानिक बायोकेमेस्ट्री | 01 | 100% | --- | | |
| 11 | वैज्ञानिक केमेस्ट्री | 01 | 100% | --- | | |



डॉ. प्रदीप के. वर्मा
 सहायक संचालक
 भौतिकी विभाग

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अजित शर्मा
कार्यकारी संचालक
म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | या अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा | टिप्पणी |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति / क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| प्रोजेक्ट (परियोजनाएं) | | | | | | |
| 1 | मुख्य परियोजना संचालक | 03 | --- | 100% | | विभागीय पदोन्नति द्वारा। |
| 2 | परियोजना संचालक | --- | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 | संयुक्त परियोजना संचालक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | वैज्ञानिक अधिकारी | 09 | 100% | | | |
| कार्टोग्राफर | | | | | | |
| 1 | प्रमुख कार्टोग्राफिक अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 2 | वरिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 | कार्टोग्राफिक अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | कनिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | कार्टोग्राफर | 13 | 100% | | | |
| तकनीकी सहायक | | | | | | |
| 1 | प्रमुख तकनीकी अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 2 | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 3 | तकनीकी अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 4 | कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 5 | तकनीकी सहायक | 25 | 100% | | | |



प्रो. प्रदीप के. वर्मा
कार्यकारी संचालक
म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

M.P. Council of Science & Technology
Bhopal
Director (Finance)

| क्र. | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | या अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा | टिप्पणी |
|----------------|--|----------------|---|---|---|---------|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति / क्रमोन्नति द्वारा | | |
| 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| प्रशासन | | | | | | |
| 1 | कार्यकारी संचालक | 01 | --- | --- | प्रतिनियुक्ति द्वारा | |
| 2 | संयुक्त संचालक | 04 | --- | 2 पद पदोन्नति द्वारा | 2 पद प्रतिनियुक्ति द्वारा | |
| 3 | उप संचालक (प्रशासन) | 01 | --- | पदोन्नति द्वारा | --- | |
| 4 | उप संचालक (लेखा) | 01 | --- | पदोन्नति द्वारा | --- | |
| 5 | सहायक संचालक (प्रशासन) | 01 | --- | पदोन्नति द्वारा | --- | |
| 6 | सहायक संचालक (लेखा) | 01 | --- | पदोन्नति द्वारा | --- | |
| 7 | सहायक संचालक (निज सहायक-महानिदेशक) | 01 | --- | सीधी भर्ती द्वारा | --- | |
| 8 | सहायक संचालक (कम्प्यूटर) | 01 | 100% | --- | --- | |
| 9 | सहायक संचालक (जनसंपर्क) / सहायक जनसंपर्क अधिकारी | 01 | --- | --- | सहायक संचालक (जनसंपर्क) का पद रिक्त होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | |
| 10 | सहायक संचालक (पुस्तकालय) / सहायक पुस्तकालाध्यक्ष | 01 | 100% | --- | | |
| 11 | सहायक संचालक (फोटो) | 01 | --- | --- | मृत संदर्भ - रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होगा। | |
| 12 | संपदा अधिकारी सह उपयंत्री सिविल | 01 | 100% | --- | सीधी भर्ती / संविदा / प्रतिनियुक्ति द्वारा (भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता) | |



प्रा. विभाग एवं प्रौद्योगिकी परिषद
श्री. प्रदीप के. वर्मा
सहायक संचालक
प्रौद्योगिकी परिषद
Dr. Pradipta K. Verma

अतिरिक्त संचालक
कार्यकारी संचालक
परिसर एवं प्रौ. परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| | सेवा में सम्मिलित पदों के नाम | पदों की संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | या अन्य सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा | टिप्पणी |
|----|--|----------------|---|--|---|---------|
| | | | सीधी भर्ती द्वारा | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति/ क्रमोन्नति द्वारा | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | सुरक्षा अधिकारी | 01 | 100% | --- | सीधी भर्ती/ संविदा/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (भूतपूर्व सैनिक को प्राथमिकता) | |
| | निज सहायक | | --- | क्रमोन्नति द्वारा | शीघ्र लेखक ग्रेड-2 संवर्ग से | |
| 15 | शीघ्र लेखक ग्रेड-2 | 04 | --- | पदोन्नति द्वारा | शीघ्र लेखक ग्रेड-3 संवर्ग से | |
| 16 | शीघ्र लेखक ग्रेड-3 | 05 | 100% | --- | --- | |
| | अनुभाग अधिकारी | 08 | --- | पदोन्नति द्वारा | सहायक ग्रेड-1 संवर्ग से | |
| | सहायक ग्रेड-1 | 12 | 30% | 70% | --- | |
| 20 | सहायक ग्रेड-2 | 18 | --- | पदोन्नति द्वारा | --- | |
| 21 | सहायक ग्रेड-3 | 26 | 70% | 30% | --- | |
| 18 | सहायक (पुस्तकालय) | 02 | 100% | --- | --- | |
| 19 | सहायक (कम्प्यूटर) | 01 | 100% | --- | --- | |
| 22 | मैकेनिक (इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) | 5 | 60% | 40% | --- | |
| 23 | वाहन चालक | 08 | 100% | --- | --- | |
| 24 | मृत्य | 36 | 100% | --- | --- | |



श्री. प्रमोद के. वर्मा
प्रशासनिक
विभाग एवं धार्मिकी परिषद्

Prasad K. Verma

Schedule – III

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
सहायक संचालक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

अनुसूची-III

सीधी भर्ती किए जाने वाले पदों पद पर नियुक्ति हेतु
व्यक्तियों की आयु, आवश्यक आर्हता तथा अतिरिक्त योग्यता

| क्रम सं. / पद सं. / पद नाम | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|----------------------------|---|------------------|-----------------|--|--|
| 1 | महानिदेशक एवं वैज्ञानिक सलाहकार, म. प्र. शासन | | | <ul style="list-style-type: none"> स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि 10 वर्ष का विभागाध्यक्ष के रूप में शोध संस्थान अथवा वैज्ञानिक संस्था में अनुभव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में किया गया हो। कार्य क्षेत्र का न्यूनतम अनुभव 15 वर्ष। | <ul style="list-style-type: none"> नियुक्ति शासन द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति के समकक्ष |
| 2 | निदेशक सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 10 शोध पत्रों का प्रकाशन। 15 वर्ष का शोध क्षेत्र का अनुभव जिसमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव सुदूर संवेदन के क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन का हो। | चयन समिति का गठन 1. महानिदेशक, मेपकास्ट-अध्यक्ष 2. महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो अखिल भारतीय स्तर के विषय विशेषज्ञ-सदस्य 3. सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति का समान स्तर का एक अधिकारी-सदस्य |

M.P. Council of Science & Technology
Bhopal
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
Bhopal
अतिरिक्त श्री. अशोक
कार्यकारी सहायक
सूचना एवं प्र. परिषद्



म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|--|------------------|-----------------|--|-----------|
| 3. | निदेशक ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 10 शोध पत्रों का प्रकाशन। 15 वर्ष का शोध क्षेत्र का अनुभव जिसमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव ग्रामीण प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन का हो। | ----- |
| 4. | निदेशक मौसम परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/ प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 10 शोध पत्रों का प्रकाशन। 15 वर्ष का शोध क्षेत्र का अनुभव जिसमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन का हो। | ----- |
| 5. | निदेशक अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 10 शोध पत्रों का प्रकाशन। 15 वर्ष का शोध क्षेत्र का अनुभव जिसमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन का हो। | ----- |

M.P. Council of Science & Technology
Deputy Director (Finance)
Bhopal

अतिरिक्त निदेशक
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद



म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
प्रो. धर्मोदर के. वर्मा
महानिदेशक
RANBHA

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|--|------------------|-----------------|--|-----------|
| 6. | निदेशक उन्नत शोध एवं उपकरण सुविधा केन्द्र | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 10 शोध पत्रों का प्रकाशन। 15 वर्ष का शोध क्षेत्र का अनुभव जिसमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव वैज्ञानिक शोध के क्षेत्र में परियोजनाओं के क्रियान्वयन का हो। | --- |
| 7. | कार्यकारी संचालक (प्रतिनियुक्ति द्वारा) | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान/आभियांत्रिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पी. बी. 4 (ग्रेड पे रू. 8900/-) में कार्यरत अथवा पी. बी. 3 (ग्रेड पे रू. 7600/-) में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थान में प्रशासन का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव वांछनीय- एम. बी. ए. की उपाधि अथवा प्रबंधन में पी. जी. डिप्लोमा | --- |
| 8 | संयुक्त संचालक (प्रतिनियुक्ति द्वारा) | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान/आभियांत्रिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि पी. बी. 3 (ग्रेड पे रू. 7600/-) में कार्यरत अथवा पी. बी. 3 (ग्रेड पे रू. 6600/-) में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थान में प्रशासन का न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव वांछनीय- एम. बी. ए. की उपाधि अथवा प्रबंधन में पी. जी. डिप्लोमा | --- |

M.P. Council of Science & Technology
 Deputy Director (Finance)
 Bhopal
 म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद



म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
 श्री. प्रदीप क. वर्मा
 नॉन-एकैडमिक
 22/03/2013

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आईता | विशेष टीप |
|------------|---|------------------|-----------------|--|---|
| 9 | मुख्य परियोजना संचालक | 18 | 50 | <ul style="list-style-type: none"> उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारी हो एवं विज्ञान/अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टर की उपाधि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम से कम 10 शोध पत्रों का प्रकाशन। 15 वर्ष का शोध क्षेत्र का अनुभव जिसमें कम से कम 10 वर्ष का अनुभव परियोजनाओं के समन्वयक का हो। | —, — (विभागीय पदोन्नति) |
| 10. | सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र | | | | |
| 1 | वैज्ञानिक सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान/जियोग्राफी विषय में न्यूनतम 60% अंको सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा संबंधित विषय में पी. एच. डी. डिग्री। अथवा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंको सहित। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम. फिल/पी. जी. डिप्लोमा/एम. टेक. इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन/जिओ-इन्फार्मेटिक्स अथवा सुदूर संवेदन में प्रशिक्षित तथा न्यूनतम 2 वर्ष का सुदूर संवेदन के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव। | चयन समिति का गठन 1. महानिदेशक, मेपकास्ट-अध्यक्ष 2. महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो विषय विशेषज्ञ-सदस्य जो परिषद् का न हो। 3. सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति का का एक अधिकारी- सदस्य |
| 11. | ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र | | | | |
| 1 | वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्प्युनिकेशन | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कम्प्युनिकेशन अथवा टेलीकम्प्युनिकेशन में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंको सहित | —, — |

आजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म. प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद



प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|--------------------------------|------------------|-----------------|---|-----------|
| 2 | वैज्ञानिक कृषि आभियांत्रिकी | 18 | 35 | ● कृषि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंकों सहित। | --- |
| 3 | वैज्ञानिक प्रोडक्ट डिजाइन | 18 | 35 | ● डिजाइन विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंकों सहित। | --- |
| 4 | वैज्ञानिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 18 | 35 | ● मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंको सहित | --- |
| 5 | वैज्ञानिक रुरल डेव्हलपमेंट | 18 | 35 | ● विज्ञान अथवा आभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंको सहित ● रुरल मैनेजमेंट/ रुरल डेव्हलपमेंट/ मार्केटिंग में एम. बी. ए. | --- |
| 6 | वैज्ञानिक वाटरशेड मैनेजमेंट | 18 | 35 | ● स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंकों सहित ● वाटरशेड मैनेजमेंट में डिग्री/ डिप्लोमा अथवा वाटरशेड मैनेजमेंट मे कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव | --- |
| 2. | मौसम परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र | | | | |
| 1 | वैज्ञानिक इनवायरमेंटल साइंस | 18 | 35 | ● पोस्ट ग्रेजुएट इन इनवायरमेंटल साइंस न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. की उपाधि | --- |
| 2 | वैज्ञानिक एटोमोस्फेरिक साइंस | 18 | 35 | ● पोस्ट ग्रेजुएट इन एटोमोस्फेरिक साइंस न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. की उपाधि | --- |
| 3 | वैज्ञानिक डेटिंग टेक्नोलॉजी | 18 | 35 | ● पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. की उपाधि ● थर्माल्यूमिनिसेंस (टी एल) डेटिंग का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव | --- |
| 4 | वैज्ञानिक जियोइन्फॉर्मेटिक्स | 18 | 35 | ● पोस्ट ग्रेजुएट इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. की उपाधि | --- |

Deputy Director (Finance)
 M.P. Council of Science & Technology
 BHOPAL

अधिकारी सहायक
 वित्त, पद वी. परिषद
 म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद



म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
 अधिकारी सहायक
 वित्त, पद वी. परिषद

Zainab
 11/11/13

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आईता | विशेष टीप |
|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|---|-----------|
| 5 | वैज्ञानिक इनवायरमेंटल मॉडलिंग | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. की उपाधि इनवायरोमेंटल मॉडलिंग संबंधी कार्य का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव | --- |
| 6 | वैज्ञानिक कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> पोस्ट ग्रेजुएट इन मेथमेटिक्स/कम्प्यूटर साइंस न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. की उपाधि | --- |
| 13. | अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र | | | | |
| 1 | वैज्ञानिक प्लेनेटोरियम | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि विख्यात प्लेनेटोरियम में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य | --- |
| | वैज्ञानिक स्पेस साइंस | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि स्पेस साइंस में शोध कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य | --- |
| 3 | वैज्ञानिक वेधशाला | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि सुविख्यात संस्थान का खगोलीय दूरबीन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव अनिवार्य | --- |
| 4 | वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमी | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि सुविख्यात संस्थान में एस्ट्रोनॉमी में शोध कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव | --- |

Deputy Director (Finance)
 M.P. Council of Science & Technology
 Bhopal



प्रो. एम.ए. शर्मा
 सहायक निदेशक
 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|---|------------------|-----------------|--|-----------|
| 5 | वैज्ञानिक भौतिकी | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि सुविख्यात संस्थान में स्पेशलिजिक्स में शोध कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव | ----- |
| 6 | वैज्ञानिक गणित | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> गणित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि सुविख्यात संस्थान में खगोलीय गणित विषय में शोध कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव | ----- |
| 14. | उन्नत शोध एवं उपकरण सुविधा केन्द्र | | | | |
| 1 | वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि बायोटेक्नोलॉजी विषय में एक वर्ष का शोध अनुभव | ----- |
| 2 | वैज्ञानिक इन्स्ट्रुमेंटेशन | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> भौतिक शास्त्र/इन्स्ट्रुमेंटेशन में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि इन्स्ट्रुमेंटेशन क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। | ----- |
| 3 | वैज्ञानिक जिनोमिक्स | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> जीवविज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि जिनोमिक्स/मोल्युकुलर बायोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। | ----- |
| 4 | वैज्ञानिक टिशू कल्चर | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> माइक्रोबायोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि टिशू कल्चर क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव | ----- |
| 5 | वैज्ञानिक बायोकेमेस्ट्री | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> बायोकेमेस्ट्री में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि बायोकेमेस्ट्री क्षेत्र में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। | ----- |

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अखिल श्रीगारसव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. परिषद के परिसर



म.प्र. परिषद के परिसर
म.प्र. परिषद के परिसर
म.प्र. परिषद के परिसर
म.प्र. परिषद के परिसर
म.प्र. परिषद के परिसर

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 3 | वैज्ञानिक केमेरिस्ट्री | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> रसायन विज्ञान/रसायन अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि रासायनिक गुणवत्ता संबंधी परीक्षण/विश्लेषण/शोध कार्य का एक वर्ष का अनुभव | --- |
| 15. | वैज्ञानिक अधिकारी | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान/प्रौद्योगिकी/अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 60% अंको सहित तथा पी. एच. डी. उपाधि | --- |
| 16. | सहायक संचालक (कम्प्यूटर) | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> एम. सी. ए./कम्प्यूटर साइंस अभियांत्रिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि न्यूनतम 65% अंको सहित | चयन समिति का गठन 1. महानिदेशक, मेपकास्ट-अध्यक्ष 2. महानिदेशक द्वारा मनोनीत एक विषय विशेषज्ञ-सदस्य जो परिषद् का न हो। 3. सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति का का एक अधिकारी-सदस्य |
| 17. | सहायक संचालक (निज सहायक-महानिदेशक) | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान/ अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिग्री कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण पी.बी.-2 रु. 9300-34800 + 4200 में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव | |
| 18. | सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> पुस्तकालय विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि एवं डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन | --- |
| 19. | सहायक जनसंपर्क अधिकारी | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> जनसंचार/पत्रकारिता में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि | --- |

M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL
Deputy Director (Finance)
Director of Science & Technology

अतिरिक्त संचालक
कार्यकारी संचालक
परिषद् एवं प्रौ. परिषद्



म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
प्रमाणिक के. वर्मा
20/01/13

**M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013**

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---|--|
| 20. | संपदा अधिकारी सह उपयंत्री सिविल | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> सिविल अभियंत्रिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि सिविल निर्माण कार्य का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव | ----- |
| 21. | सुरक्षा अधिकारी | 18 | 40 | <ul style="list-style-type: none"> भूतपूर्व सैन्य अधिकारी पी. बी. 3 (ग्रेड पे रु. 5400/-) वेतनमान में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव | ----- |
| 22. | तकनीकी सहायक | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि। | चयन समिति का गठन <ul style="list-style-type: none"> कार्यकारी संचालक-अध्यक्ष महानिदेशक द्वारा मनोनीत एक विषय विशेषज्ञ-सदस्य जो परिषद् का न हो। सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति का एक अधिकारी-सदस्य |
| 23. | सहायक ग्रेड-1 | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा (अवधि 6 माह) किसी प्रतिष्ठित संस्थान में लिपिक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव | ----- |

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
Bhopal
अतिरिक्त श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्



म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
प्रौ. प्रदीप के. वर्मा
सहायक संचालक

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | सेवा/पद का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | आवश्यक शैक्षणिक आर्हता | विशेष टीप |
|------------|---|------------------|-----------------|--|-----------|
| 24. | सहायक ग्रेड-III | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> हायर सेकेन्डरी परीक्षा 10+2 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी टाईपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा (अवधि 6 माह) | --- |
| 25. | शीघ्रलेखक ग्रेड-III | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10 + 2 द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त बोर्ड से हिन्दी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में 6 माह का प्रशिक्षण | --- |
| 26. | मैकेनिक (इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव | --- |
| 26. | सहायक (पुस्तकालय) | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> पुस्तकालय विज्ञान में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में 6 माह का प्रशिक्षण | --- |
| 27. | सहायक (कम्प्यूटर) | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> विज्ञान विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि। मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में 1 वर्ष का डिप्लोमा | --- |
| 28. | वाहन चालक | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं ड्राइविंग लाइसेंस (एलएमवी/एचएमवी) | --- |
| 29. | भृत्य | 18 | 35 | <ul style="list-style-type: none"> आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण | --- |

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL


अतिरिक्त सहायक
कार्यकारी संचालक
पुरवि एवं प्रौ. परिषद्


- टीप : 1. निदेशक के पद पर चयन हेतु शोध निर्देशन में अनुभवी उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
2. विशेष रूप से अनुभवी उम्मीदवारों के प्रकरण में चयन समिति द्वारा पी.एच.डी. की आवश्यक अहर्ता को शिथिल किया जा सकेगा ।
3. विशेष रूप से अनुभवी उम्मीदवारों के प्रकरण में चयन समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम वर्ष के अनुभव की अवधि की आवश्यक अहर्ता में आंशिक छूट दिया जा सकेगा ।
4. वैज्ञानिक तथा निदेशक के पदों हेतु आवश्यक अनुभव के विषयों/ क्षेत्रों के समतुल्यता का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जा सकेगा ।




प्रस्ताव को, चयन समिति के सदस्यों को प्रेषित करने के लिए प्रस्ताविका परिषद्

Schedule – IV


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद


प्रो. प्रदीप के. शर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

अनुसूची-IV
क्रमोन्नति योजना

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|--|--|---|-------------------|---|--|
| केन्द्र (सेन्टर) | | | | | |
| सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र (रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर) | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | मुख्य वैज्ञानिक | 8 वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> ● महानिदेशक, मेपकास्ट - अध्यक्ष ● महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो अखिल भारतीय स्तर के विषय से संबंधित वैज्ञानिक- सदस्य ● सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी-सदस्य | चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा साक्षात्कार के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी। मुख्य वैज्ञानिक हेतु केवल पी.एच. डी. उपाधिधारी वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक के प्रकरण पर ही विचार किया जावेगा। |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक | प्रधान वैज्ञानिक | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक | वरिष्ठ वैज्ञानिक | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| ग्रामीण प्रौद्योगिकी उपयोग केन्द्र (रूरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेन्टर) | | | | | |
| 1. | वरि. प्रधान वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यू.) | मुख्य वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यू.) | 8 वर्ष | ----- | ----- |

Deputy Director (Administration)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL
कार्यालय संचालक
प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

प्र. वि. परिषद के द्वारा
संश्लेषण एवं प्र. वि. परिषद



M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

M.P. Council of Science & Technology
Bhopal
Deputy Director (Finance)

अतिरिक्त सहायक
कार्यकारी संचालक
म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|------------|--|---|-------------------|------------------|---------|
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यु.) | वरि. प्रधान वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यु.) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यु.) | प्रधान वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा तथा कम्प्यु.) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यु.) | वरि. वैज्ञानिक (इलेक्ट्रा. तथा कम्प्यु.) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | मुख्य वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | प्रधान वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (कृषि अभियांत्रिकी) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | मुख्य वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | प्रधान वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (प्रोडक्ट डिजाइन) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | मुख्य वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | वरि. प्रधान वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | प्रधान वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (मैके. इंजी.) | 4 वर्ष | ----- | ----- |



प्रधान वैज्ञानिक (मैके. इंजी.)
वरिष्ठ वैज्ञानिक (मैके. इंजी.)
प्रधान वैज्ञानिक (मैके. इंजी.)
वरिष्ठ वैज्ञानिक (मैके. इंजी.)

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अधीन प्रो. वेंकटराव
कादरानी संशोधक
परिषद एवं प्रो. परिषद

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|---|--|---|-------------------|------------------|---------|
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | मुख्य वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| | प्रधान वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | वरि. प्रधान वैज्ञा. (रूरल डेव्हप.) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | प्रधान वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | वरि. वैज्ञानिक (रूरल डेव्हप.) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | मुख्य वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | प्रधान वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (वाटरशेड मैनेजमेंट) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| सौसम परिवर्तन अनुसंधान केन्द्र (क्लाइमेट चेंज रिसर्च सेन्टर) | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | मुख्य वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरि. वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | प्रधान वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | वरि. वैज्ञानिक (इनवायरमेन्टल साइंस) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | मुख्य वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरि. वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | प्रधान वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | वरि. वैज्ञानिक (एटोमोस्फेरिक साइंस) | 4 वर्ष | ----- | ----- |



प्रो. प्रदीप कुमार
वरिष्ठ वैज्ञानिक
परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | चस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|------------|---|---|-------------------|------------------|---------|
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | मुख्य वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | 8 वर्ष | --- | --- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | 6 वर्ष | --- | --- |
| 3. | वरि. वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | प्रधान वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | 4 वर्ष | --- | --- |
| 4. | वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | वरि. वैज्ञानिक (डेटिंग टेक्नोलॉजी) | 4 वर्ष | --- | --- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | मुख्य वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | 8 वर्ष | --- | --- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | 6 वर्ष | --- | --- |
| 3. | वरि. वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | प्रधान वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | 4 वर्ष | --- | --- |
| 4. | वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | वरि. वैज्ञानिक (जियोइन्फॉमेटिक्स) | 4 वर्ष | --- | --- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | मुख्य वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | 8 वर्ष | --- | --- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | 6 वर्ष | --- | --- |
| 3. | वरि. वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | प्रधान वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | 4 वर्ष | --- | --- |
| 4. | वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | वरि. वैज्ञानिक (इन्वायरोनमेन्टल माडलिंग) | 4 वर्ष | --- | --- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | मुख्य वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | 8 वर्ष | --- | --- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | 6 वर्ष | --- | --- |

Deputy Director (Finance)
 M.P. Council of Science & Technology
 Bhopal
 अतिरिक्त सहायक
 वित्त (वै. प्रशासन)
 म.प्र. वि. वि. परिषद्



श्री. प्रदीप क. वर्मा
 सहायक वरिष्ठ वैज्ञानिक
 कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स
 22.10.2011

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|--|---|---|-------------------|------------------|---------|
| 3. | वरि. वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | प्रधान वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| | वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | वरि. वैज्ञानिक (कम्प्यूटेशनल मेथमेटिक्स) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र (स्पेस साइंस रिसर्च सेन्टर) | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | मुख्य वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | वरि. प्रधान वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | प्रधान वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (प्लेनेटोरियम) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | मुख्य वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | प्रधान वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (स्पेस साइंस) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (वेधशाला) | मुख्य वैज्ञानिक (वेधशाला) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (वेधशाला) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (वेधशाला) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (वेधशाला) | प्रधान वैज्ञानिक (वेधशाला) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (वेधशाला) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (वेधशाला) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | मुख्य वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | प्रधान वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (एस्ट्रोनामी) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (भौतिकी) | मुख्य वैज्ञानिक (भौतिकी) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (भौतिकी) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (भौतिकी) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (भौतिकी) | प्रधान वैज्ञानिक (भौतिकी) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (भौतिकी) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (भौतिकी) | 4 वर्ष | ----- | ----- |

Deputy Director (Administration)
 M.P. Council of Science & Technology
 BHOPAL

अतिरिक्त सहायक
 सहायक सचिव
 म.प्र. परिषद
 विज्ञान एवं प्रौ. परिषद



श्री प्रदीप क. वर्मा
 सहायक सचिव
 प्रौ. परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|--|---|---|-------------------|------------------|---------|
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (गणित) | मुख्य वैज्ञानिक (गणित) | 8 वर्ष | " | " |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (गणित) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (गणित) | 6 वर्ष | " | " |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (गणित) | प्रधान वैज्ञानिक (गणित) | 4 वर्ष | " | " |
| 4. | वैज्ञानिक (गणित) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (गणित) | 4 वर्ष | " | " |
| उन्नत शोध एवं उपकरण सुविधा केन्द्र (एडवांस रिसर्च एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन फेसिलिटी सेन्टर) | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | मुख्य वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | 8 वर्ष | " | " |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | 6 वर्ष | " | " |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | प्रधान वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | 4 वर्ष | " | " |
| 4. | वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (बायोटेक्नोलॉजी) | 4 वर्ष | " | " |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | मुख्य वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | 8 वर्ष | " | " |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | 6 वर्ष | " | " |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | प्रधान वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | 4 वर्ष | " | " |
| 4. | वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (इंस्ट्रुमेंटेशन) | 4 वर्ष | " | " |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | मुख्य वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | 8 वर्ष | " | " |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | 6 वर्ष | " | " |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | प्रधान वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | 4 वर्ष | " | " |

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

कार्यवाही के लिये
 म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद



डॉ. प्रदीप कुमार
 सहायक निदेशक
 म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति / पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|------------|---|---|-------------------|------------------|---------|
| 4. | वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (जिनोमिक्स) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | मुख्य वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | प्रधान वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (टिशू कल्चर) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | मुख्य वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | प्रधान वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (बायोकेमेस्ट्री) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 1. | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | मुख्य वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 2. | प्रधान वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | प्रधान वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | वरिष्ठ वैज्ञानिक (केमेस्ट्री) | 4 वर्ष | ----- | ----- |

Deputy Director of Science & Technology
 M.P. Council of Science & Technology
 Bhopal
 सहायक निदेशक
 विज्ञान एवं प्रौ. परिषद
 भोपाल



प्रो. प्रदीप क. वर्मा
 सहायक निदेशक
 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद
 भोपाल

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
Bhopal

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|-----------------------------|--|---|-------------------|--|---|
| परियोजना (प्रोजेक्ट) | | | | | |
| 1. | परियोजना संचालक रु. 37400-67000+8700 | मुख्य परियोजना संचालक रु. 37400-67000+8900 | 8 वर्ष | विभागीय पदोन्नति | |
| 2. | संयुक्त परियोजना संचालक रु. 15600-39100+7600 | परियोजना संचालक रु. 37400-67000+8700 | 6 वर्ष | ●महानिदेशक, मेपकास्ट - अध्यक्ष ●महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो अखिल भारतीय स्तर के विषय से संबंधित वैज्ञानिक- सदस्य सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी-सदस्य | चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा साक्षात्कार के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी। परियोजना संचालक हेतु केवल पी.एच.डी. उपाधिधारी संयुक्त परियोजना संचालक के प्रकरण पर ही विचार किया जावेगा। |
| 3. | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रु. 15600-39100+6600 | संयुक्त परियोजना संचालक रु. 15600-39100+7600 | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | वैज्ञानिक अधिकारी रु. 15600-39100+5400 | वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी रु. 15600-39100+6600 | 4 वर्ष | ----- | ----- |
| तकनीकी अधिकारी | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 6600 | प्रमुख तकनीकी अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 7600 | 8 वर्ष | ●महानिदेशक, मेपकास्ट (अथवा उनका प्रतिनिधि) - अध्यक्ष ●महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो अखिल भारतीय स्तर के विषय से संबंधित वैज्ञानिक- सदस्य ●सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी-सदस्य | चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा साक्षात्कार के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी। |



स.प्र. शिक्षण एवं प्रशासिक अधिकारी
प्र. प्रमोद के. शर्मा
26/11/13

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमिक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|------------------------------|--|--|-------------------|---|--|
| 2. | तकनीकी अधिकारी रु. 15800 - 39100 + 5400 | वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 6600 | 8 वर्ष | ----- | {तकनीकी अधिकारी को पी. एच. डी. धारी होने पर पात्रता (बिना पी.एच.डी डिग्रीधारी को 10 वर्ष होने पर पात्रता)} |
| 3. | कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी रु. 9300 - 34800 + 4200 | तकनीकी अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 5400 | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| 4. | तकनीकी सहायक रु. 9300 - 34800 + 3600 | कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी रु. 9300 - 34800 + 4200 | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| कार्टोग्राफिक अधिकारी | | | | | |
| 1. | वरिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 6600 | प्रमुख कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 7600 | 8 वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> ● महानिदेशक, सेपकास्ट (अथवा उनका प्रतिनिधि) - अध्यक्ष ● महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो अखिल भारतीय स्तर के विषय से संबंधित वैज्ञानिक- सदस्य ● सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी-सदस्य | चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा साक्षात्कार के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी। |
| 2. | कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 5400 | वरिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 6600 | 8 वर्ष | ----- | {कार्टोग्राफिक अधिकारी को पी. एच. डी. धारी होने पर पात्रता (बिना पी.एच.डी डिग्रीधारी को 10 वर्ष होने पर पात्रता)} |
| 3. | कनिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 5400 | कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 5400 | 6 वर्ष | ----- | ----- |

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
Bhopal

सहायक निदेशक
कार्टोग्राफिक अधिकारी
म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद



म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद
कार्टोग्राफिक अधिकारी
क. प्र. वि.
क. प्र. वि.
कार्टोग्राफिक अधिकारी

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|----------------|--|--|-------------------|--|--|
| 4. | कार्टोग्राफर रु. 9300 - 34800 + 3600 | कनिष्ठ कार्टोग्राफिक अधिकारी रु. 15600 - 39100 + 4200 | 6 वर्ष | ----- | ----- |
| प्रशासन | | | | | |
| 1. | उप संचालक (लेखा/ प्रशासन) रु. 15600 - 39100 + 6600 | संयुक्त संचालक रु. 15600 - 39100 + 7600 | 8 वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> ●महानिदेशक, मेपकास्ट (अथवा उनका प्रतिनिधि) - अध्यक्ष ●महानिदेशक द्वारा मनोनीत दो अखिल भारतीय स्तर के विषय से संबंधित वैज्ञानिक- सदस्य ●सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी-सदस्य | चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा साक्षात्कार के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी। |
| 2 | सहायक संचालक (लेखा/ प्रशासन) रु. 15600 - 39100 + 5400 | उप संचालक (लेखा/ प्रशासन) रु. 15600 - 39100 + 6600 | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 3 | उप पुस्तकालाध्यक्ष/ उप जनसंपर्क अधिकारी/ उप संचालक कम्प्यूटर रु. 15600 - 39100 + 6600 | पुस्तकालाध्यक्ष/ जनसंपर्क अधिकारी/ संयुक्त संचालक कम्प्यूटर रु. 15600 - 39100 + 7600 | 8 वर्ष | ----- | ----- |
| 4 | सहायक पुस्तकालाध्यक्ष/ सहायक जनसंपर्क अधिकारी/ सहायक संचालक कम्प्यूटर रु. 15600 - 39100 + 5400 | उप पुस्तकालाध्यक्ष/ उप जनसंपर्क अधिकारी/ उप संचालक कम्प्यूटर रु. 15600 - 39100 + 6600 | 8 वर्ष | ----- | ----- |

Deputy Director (Finance)
 M.P. Council of Science & Technology
 Bhopal

सहायक संचालक
 कम्प्यूटर
 म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

सहायक संचालक
 कम्प्यूटर
 म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|------------|--|--|-------------------|--|--|
| 5 | अनुभाग अधिकारी रु. 9300 - 34800 + 4200 | सहायक संचालक (लेखा/ प्रशासन) रु. 15600 - 39100 + 5400 | 4 वर्ष | <ul style="list-style-type: none"> ● महानिदेशक, मेपकास्ट एवं वैज्ञानिक सलाहकार, म. प्र. शासन (अथवा उनका प्रतिनिधि)—अध्यक्ष ● कार्यकारी संचालक, मेपकास्ट—सदस्य ● संयुक्त संचालक, मेपकास्ट—सदस्य ● सा. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी—सदस्य | चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी। |
| 6 | सहायक ग्रेड-1 रु. 9300 - 34800 + 3600 | अनुभाग अधिकारी रु. 9300 - 34800 + 4200 | 10 वर्ष | ----- | |
| 7 | सहायक ग्रेड-2 रु. 5200 - 20200 + 2400 | सहायक ग्रेड-1 रु. 9300 - 34800 + 3600 | 10 वर्ष | ----- | |
| 8 | सहायक ग्रेड-3 रु. 5200 - 20200 + 1900 | सहायक ग्रेड-2 रु. 5200 - 20200 + 2400 | 10 वर्ष | ----- | |
| 9 | सहायक (पुस्तकालय/कम्प्यूटर) रु. 9300 - 34800 + 3600 | उप अधीक्षक (पुस्तकालय/कम्प्यूटर) रु. 9300 - 34800 + 4200 | 10 वर्ष | ----- | |
| 10. | उप अधीक्षक (पुस्तकालय/कम्प्यूटर) रु. 9300 - 34800 + 4200 | अधीक्षक (पुस्तकालय/कम्प्यूटर) रु. 15600 - 39100 + 5400 | 10 वर्ष | ----- | |
| 11. | शीघ्र लेखक ग्रेड-2 रु. 9300 - 34800 + 4200 | निज सहायक रु. 15600 - 39100 + 5400 | 10 वर्ष | ----- | |
| 12. | शीघ्र लेखक ग्रेड-3 रु. 9300 - 34800 + 3600 | शीघ्र लेखक ग्रेड-2 रु. 9300 - 34800 + 4200 | 10 वर्ष | ----- | |
| 13. | वरिष्ठ मैकेनिक (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) रु. 5200 - 20200 + 3000 | सेलेक्शन ग्रेड मैकेनिक (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) रु. 9300 - 34800 + 4200 | 10 वर्ष | ----- | |

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अधीक्षक (पुस्तकालय/कम्प्यूटर)
म. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी—सदस्य



अधीक्षक (पुस्तकालय/कम्प्यूटर)
म. प्र. वि. के निर्देशानुसार आरक्षित प्रवर्ग का एक अधिकारी—सदस्य

M P COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY, BHOPAL, MADHYA PRADESH
SERVICE RULES & REGULATION MANUAL 2013

| अनुक्रमांक | उस पद का नाम एवं वेतनमान जिससे क्रमोन्नति/ पदोन्नति की जाएगी | वह वेतनमान एवं पद जिसमें क्रमोन्नति/पदोन्नति की जाएगी | न्यूनतम सेवा अवधि | चयन समिति का गठन | टिप्पणी |
|------------|---|--|-------------------|------------------|---------|
| 14 | मैकेनिक (इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) रु. 5200 - 20200 + 2800 | वरिष्ठ मैकेनिक (इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकेनिकल, कारपेन्ट्री, प्लंबिंग) रु. 5200 - 20200 + 3600 | 10 वर्ष | ----- | |
| 15 | वाहन चालक (ग्रेड-2) रु. 5200 - 20200 + 2400 | वाहन चालक (ग्रेड-1) रु. 5200 - 20200 + 2800 | 10 वर्ष | ----- | |
| 16 | वाहन चालक (ग्रेड-3) रु. 5200 - 20200 + 1900 | वाहन चालक (ग्रेड-2) रु. 5200 - 20200 + 2400 | 10 वर्ष | ----- | |
| 17 | सुपरवाइजर - 1 पी. बी. 1 रु. 5200-20200+ 1900 | सुपरवाइजर - 2 पी. बी. 1 रु. 5200-20200+ 2100 | 5 वर्ष | ----- | |
| 18 | मृत्य (ग्रेड-1) पी. बी. 1 रु. 5200-20200+ 1800 | सुपरवाइजर - 1 पी. बी. 1 रु. 5200-20200+ 1900 | 5 वर्ष | ----- | |
| 19 | मृत्य (ग्रेड-2) 1 एस. रु. 4440-7440 + 1400 | मृत्य (ग्रेड-1) पी. बी. 1 रु. 5200-20200+ 1800 | 10 वर्ष | ----- | |
| 20 | मृत्य (ग्रेड-3) 1 एस. रु. 4440-7440 + 1300 (पु. रु. 2550-3200) | मृत्य (ग्रेड-2) 1 एस. रु. 4440-7440 + 1400 | 10 वर्ष | ----- | |

विशेष टीप : चयन समिति द्वारा क्रमोन्नति/ पदोन्नति के प्रकरणों में उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को परिषद द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चयन समिति संबंधित व्यक्तियों के गोपनीय अभिलेख के अलावा साक्षात्कार के द्वारा उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन कर समग्र रूप से उपयुक्तता का निर्धारण कर चयन करेगी।



श्री. प्रदीप के. वर्मा
सहायक
प्रशासन एवं संचालकी अधिकार
MPCST

Schedule – V

H
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL
अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी सचिव/सक
प्र.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद्

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
प्र.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

MADHYA PRADESH COUNCIL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, BHOPAL

SELF ASSESSMENT PROFORMA (For scientific/ technical staff)

1. Name of the Employee
2. Designation
3. Your academic/ technical qualification
4. Present pay Scale and date since occupying the present pay scale
 - a. Present pay scale
 - b. Date since occupying the pay scale
5. Next higher post and pay scale
 - a. Next higher post
 - b. Next higher pay scale
6. Period in the present pay scale
7. Salient achievements (Use additional sheets, Annexure - I), since you were appointed/ promoted/ placed to the present pay scale.
[Use separate sheet for each year i.e. 1st, 2nd, 3rd, 4th year etc.]
8. Are you given any punishment/warning etc. by the employer since your appointment/ promotion/ placement to present pay scale? (Furnish details, if yes)

DECLARATION

I hereby declare that the information furnished above is true. I am aware that in case any of the above information is found to be incorrect, the council will take appropriate action against me.

Date :

Place :

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यालय संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

Signature:

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महाविभाग
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
Name:



ANNEXURE – I
(For scientific/ technical staff)
[Information to be furnished under the point no. 7 (salient achievements)]

Name

Designation

Enhancement of qualification (if any) during the year

Publication (Only Full paper, Attached reprints/ Xeroxed copies)

In refereed journals/magazines
In non-refereed journals/magazines
In proceedings of seminar/symposia etc
In Book, as chapter
Articles in newspaper/magazines etc

Project/Technical Report

Research Projects (Proved details)

Completed as PI or Co-PI
Completed as Team member
Self-formulated projects (sponsored projects that were formulated by you)

Seminar/symposium workshop/training etc

Organized by you
Served as Member of Organizing Committee
In which you presented paper
Attended by you

Teaching and Research

Course taught/ Lecture given
Ph.D/M.Phil level research Supervision
Dissertation Supervised

Association with Professional Bodies (viz. ISRS, ISG, GSI etc)

Office Bearer
Membership


Award/ Prizes Received (Provide details)

Any other information, you may like to provide

I hereby certify that this information is only related to 1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th/8th/9th/10th year (tick the appropriate year and strike off the others) since I was appointed/promoted/ placed to present pay scale. I also certify that the above information is true and I can submit the documents for verification whenever required by the Council.

Date :


Place :


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL



Signature:

Name:


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

MADHYA PRADESH COUNCIL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, BHOPAL

SELF ASSESSMENT PROFORMA (For other staff)

1. Name of the Employee
2. Designation
3. Your academic/ technical qualification
4. Present pay Scale and date since occupying the present pay scale
 - a. Present pay scale
 - b. Date since occupying the pay scale
5. Next higher post and pay scale
 - a. Next higher post
 - b. Next higher pay scale
6. Period in the present pay scale
7. Salient achievements (Use additional sheets, Annexure – I A) since you were appointed/
promoted/ placed to the present pay scale
[Use separate sheet for each year i.e. 1st, 2nd, 3rd, 4th year etc.]
8. Are you given any punishment/warning etc. by the employer since your appointment/
promotion/ placement to present pay scale? (Furnish details, if yes)

DECLARATION

I hereby declare that the information furnished above is true. I am aware that in case any of the above information is found to be incorrect, the council will take appropriate action against me.

Date :

Place :

24/04/16

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
स.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

Signature:

Name:

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL



अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
स.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

ANNEXURE – I A
(For other staff)

[Information to be furnished under the point no. 7 (salient achievements)]

Name


Designation

Enhancement of qualification (If any) during the year

Work done during the year

Any special task accomplished during the year

Awards/ prizes received during the year


प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

Any other information, you may like to provide

I hereby certify that this information is only related to 1st/2nd/3rd/4th/5th/6th/7th/8th/9th/10th year (tick the appropriate year and strike off the others) since I was appointed/promoted/ placed to present pay scale. I also certify that the above information is true and I can submit the documents for verification whenever required by the Council.

Date :

Place :



Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Tech
BHOPAL



Signature:


Name:




अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद

Schedule – VI


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


प्रो. प्रमोद के. वर्मा
सहनिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद


अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी सचिव
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1995

अधिसूचना

बी.एस.आर. 748 (ई) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16-ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित योजना बनाती है—

1. नाम संक्षेप, प्रारम्भ तथा लागू होना— (1) यह योजना कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 होगी।

(2) (ए) यह योजना 16 नवम्बर, 1995 को प्रभावी होगी,

(बी) इस योजना के प्रावधानों के अधीन रहते हुये 1 अप्रैल, 1993 से इस योजना के सदस्य बनने के लिये कर्मचारी विकल्प दे सकेंगे।

(3) कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 16 के प्रावधानों के अन्तर्गत रहते हुये, यह योजना उन सभी कारखानों और संस्थानों, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है, या उसकी धारा 1 की उपधारा (3) अथवा (4) अथवा (5) के अन्तर्गत लागू किया गया है, के कर्मचारियों पर यह योजना लागू होगी।

2. परिभाषाएं— (1) इस योजना में, जब तक अन्यथा संदर्भ आवश्यक न हो—

(i) "अधिनियम" (एक्ट) से तात्पर्य है— कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19वां)

(ii) "वास्तविक सेवा" (एक्ज्युअल सर्विस) का तात्पर्य है— 16 नवम्बर, 1995 या किसी संस्थान में कार्य आरम्भ करने की तारीख, जो बाद की हो, से इस अधिनियम के अन्तर्गत आवृत्त संस्थान की नौकरी छोड़ने की तारीख तक की गई सेवा की कुल अवधि;

(iii) "आयुक्त" (कमिश्नर) का तात्पर्य है अधिनियम की धारा 5-डी के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारी भविष्य निधि का आयुक्त;

(iv) "अंशदायी सेवा" (कन्ट्रिब्यूटरी सर्विस) का तात्पर्य है— की गई वास्तविक सेवा की वह अवधि, जिसके लिये निधि के लिये अंशदान [प्राप्त किया गया या प्राप्त किया जाना है।]

(v) "पात्र सदस्य" (एलिजिबल मेम्बर) का तात्पर्य है— वह कर्मचारी जो कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य बनने का पात्र हो;

(vi) "विद्यमान सदस्य" (एग्जिस्टिंग मेम्बर) का तात्पर्य है— विद्यमान वह कर्मचारी जो कि कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य है।

(vii) "परिवार" (फैमिली) का तात्पर्य है—

(1) कर्मचारी पेंशन योजना के पुरुष सदस्य के मामले में पत्नी,

(2) कर्मचारी पेंशन योजना की स्त्री सदस्या के मामले में पति, और

(3) कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य के पुत्र और [xxx] पुत्रियां

यसत के राजपत्र में दिनांक 16.11.1995 को प्रकाशित।

बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा हटाया गया (16.3.96 से प्रभावी)

Director (Finance)
Department of Science & Technology
अजित श्रीवास्तव

2/11/95
के. वरुणा



स्पष्टीकरण - "पुत्र" और "पुत्रियों" के निहितार्थ में [xxx] सदस्य द्वारा वैधानिक रूप से लिये गये बच्चे भी शामिल हैं;

- (viii) "पेंशन" का तात्पर्य है - कर्मचारी पेंशन योजना के अन्तर्गत देय पेंशन और 15 नवम्बर, 1995 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व देय परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत निहित और देय परिवार पेंशन भी शामिल है;
- (ix) "सदस्य" (मेम्बर) से तात्पर्य है - वह कर्मचारी, जो इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनता है;
- (x) "बिना अंशदान की सेवा" (नॉन कस्ट्रीब्यूटरी सर्विस) का तात्पर्य है - कर्मचारी को प्राप्त हुई "वास्तविक सेवा" की वह अवधि, जिसके लिये "कर्मचारी पेंशन निधि" में अंशदान प्राप्त नहीं किया या प्राप्त नहीं किया जाना है।
- (xi) "अनाथ" (आरफन) से तात्पर्य है - वह व्यक्ति, जिसके माता या पिता कोई भी नहीं हैं [xxx];
- (xii) "पिछली सेवा" (पास्ट सर्विस) का तात्पर्य है - विद्यमान सदस्य द्वारा कर्मचारी पेंशन का सदस्य बनने की तारीख से 15 नवम्बर, 1995 तक की गई सेवा की अवधि;
- (xiii) "वेतन" (पे) का तात्पर्य है - महंगाई भत्ते सहित मूल वेतन, रिटैनिंग अलायंस, खाद्य राहत का देय नकद मूल्य, यदि कोई हो;
- (xiv) "पेंशन निधि" (पेंशन फण्ड) का तात्पर्य है - अधिनियम की धारा 6-ए की उपधारा के अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी पेंशन निधि;
- (xv) "पेंशन योग्य सेवा" (पेंशनेबल सर्विस) का तात्पर्य है - सदस्य द्वारा की गई सेवा जिसके लिये अंशदान प्राप्त कर लिये गये हैं, या प्राप्त करना है;
- (xvi) "स्थायी एवं पूर्ण अपंगता" (परमानेंट टोटल डिसेम्बलमेंट) का तात्पर्य है - प्रकृति की ऐसी अपंगता, जिससे एक कर्मचारी वे सभी काम करने में असमर्थ है, जो कि वह ऐसी अपंगता के समय करने में सक्षम था चाहे ऐसी अपंगता काल-दौरान हुयी हो या अन्यथा हुयी हो;
- (xvii) "सारणी" (टेबल) का तात्पर्य है - इस योजना के साथ लगाई गई सारणी;
- (xviii) अधिनियम में परिभाषित एवं शब्द योजना, जो कि इस योजना में परिभाषित नहीं की गयी है, का वही तात्पर्य होगा जैसा उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. कर्मचारी पेंशन निधि - (1) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत या अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ए) या (बी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त संस्थान के या जिस संस्थान के अन्तर्गत को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 27 या 27-ए के अन्तर्गत छूट प्रदान की गयी संस्थान को भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक माह नियुक्ता द्वारा देय अंशदानों में से कर्मचारियों के अंशदानों के 8.33 प्रतिशत के बराबर का एक भाग कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान के रूप में प्रत्येक माह वेतन से 15 दिनों की अवधि में नियुक्ता द्वारा अलग बैंक ड्राफ्ट या चेक के द्वारा, इस सम्बन्ध में अपरिभाषित प्रक्रिया के अनुसार कर्मचारी पेंशन निधि में जमा कराया जावेगा। ऐसे भुगतानों का यदि कोई हो तो वह नियुक्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

2. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

3. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा हटाया गया (16.3.96 से प्रभावी)

Deputy Director (Finance)
Council of Science & Technology
भारतीय विज्ञान संस्थान
सचिव

20/11/96
प्रो. प्रदीप के. वर्मा
सचिव



पृष्ठ 6]

(2) केन्द्रीय सरकार भी पेंशन निधि के सदस्यों के वेतन का 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान देगी और उस अंशदान को कर्मचारी पेंशन निधि में जोड़ेगी, परन्तु, जहां सदस्य का वेतन पांच हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक हो तो नियोजित और केन्द्रीय सरकार द्वारा देय अंशदान उसके पांच हजार रुपये तक के वेतन तक ही सीमित रहेगा।

(3) उपपैरा (1) व (2) के अन्तर्गत देय अंशदान निकटतम रुपये में गणनीय होगा, पचास पैसे या अधिक को रुपया गिना जावगा और रुपये के पचास पैसे से कम भाग को समाप्त कर दिया जावेगा।

(4) कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की कुल परिसम्पत्तियाँ कर्मचारी पेंशन निधि में निहित एवं अंतर्गत हो गई हैं।

4. अंशदान का भुगतान— (1) नियोजित सीधे स्वयं के द्वारा या किसी ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारी पेंशन निधि के सदस्यों के संबंध के कर्मचारी पेंशन निधि में देय अंशदान का भुगतान या पिता कोई भी करेगा।

(2) मुख्य नियोजित की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में और किसी ठेकेदार के द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में कर्मचारी पेंशन निधि में देय अंशदानों का भुगतान करे।

5. किन्हीं अंशदानों के भुगतान में चूक करने पर क्षति की वसूली— (1) जहां कोई नियोजित कर्मचारी पेंशन निधि में कोई अंशदान या अधिनियम या इस योजना के किसी अन्य प्रावधान के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के भुगतान में चूक करता है, तो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त या केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में जारी अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत अन्य ऐसा अधिकारी नीचे लिखी दरों के हिसाब से नियोजित से जुमनि के रूप में क्षति वसूल कर सकेगा—

| चूक की अवधि | क्षति की दर (बकाया का प्रतिशत, वार्षिक) |
|--|---|
| (ए) दो माह से कम | सत्रह |
| (बी) दो माह और अधिक किन्तु चार माह से कम | बाईस |
| (सी) चार माह और अधिक किन्तु छः माह से कम | सत्ताईस |
| (डी) छः माह और अधिक | सैंतीस |

(2) क्षति की गणना निकटतम रुपये में की जावेगी, 50 पैसे या अधिक को निकटतम आगे का रुपया गिना जावेगा तथा रुपये का 50 पैसे से कम भाग छोड़ दिया जावेगा।

6. कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता— पैराग्राफ 1 के उपपैरा (3) के अधीन रहते हुये यह योजना प्रत्येक उस कर्मचारी पर लागू होगी—

(ए) जो 16 नवम्बर, 1995 को या उसके बाद कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का या अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27 या 27-ए के अन्तर्गत छूट प्राप्त कारखानों या अन्य संस्थानों की भविष्य निधि का सदस्य बनता हो;

(बी) जो 16 नवम्बर, 1995 को इस योजना के प्रारम्भ से पूर्व समाप्त की गई कर्मचारी परिवार योजना, 1971 का सदस्य रहा हो;

2. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

Director (Finance)
Science & Technology
MOPAL

अजित श्रीवास्तव
कर्मचारी संचालक

Signature
प्रमोद के. शर्मा



- (सी) जिसकी 1 अप्रैल, 1993 और 15 नवम्बर, 1995 के बीच कर्मचारी परिवार पेंशन योजना की सदस्यता समाप्त हुयी हो और जो पैराग्राफ 7 के अन्तर्गत विकल्प देने की इच्छा रखता।
- (डी) जो 15 नवम्बर, 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि या अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा छूट प्राप्त या कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 27 या 28 के अन्तर्गत छूट प्राप्त कारखानों या अन्य संस्थानों की भविष्य निधि के सदस्य रहे हों, जो कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य नहीं होने के कारण पैराग्राफ 7 के अन्तर्गत विकल्प देने की इच्छा रखते हों।

7. योजना में आने (सदस्य बनने) के लिये विकल्प - (1) पैराग्राफ 6 के उप पैरा (सी) में संदर्भित सदस्य, जिनकी 1 अप्रैल, 1993 और 15 नवम्बर, 1995 के बीच मृत्यु हो चुकी है, वे इस मृत्यु की तारीख से इस योजना में आने के लिये विकल्प दिये हुये माने जावेंगे।

(2) पैराग्राफ 6 के उप पैरा (सी) में संदर्भित सदस्य जो जीवित हैं, पैराग्राफ 17 के प्रावधानों के अनुसार उनके नौकरी छोड़ने की तारीख से इस योजना में आने के लिये विकल्प दे सकेंगे।

(3) पैराग्राफ 6 के उप पैरा (डी) में संदर्भित सदस्य पैराग्राफ 17 के प्रावधानों के अनुसार 16 नवम्बर, 1995 से इस योजना में आने के लिये विकल्प दे सकेंगे।

8. शंकाओं का निराकरण - यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई कर्मचारी "कर्मचारी भविष्य निधि योजना" का सदस्य बनने का हकदार है, तो उसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास भेजा जायेगा जो उस पर निर्णय देगा।

परन्तु, इस मामले में आदेश पारित करने से पहले नियोजित और कर्मचारी दोनों को सुना जायेगा।

9. पात्र सेवा (एलिजिबल सर्विस) का निर्धारण - पात्र सेवा का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा -

(ए) "नये सदस्यों" के मामले में "वास्तविक सेवा" को पात्र सेवा माना जावेगा। कुल वास्तविक सेवा को निकटतम पूर्ण वर्ष में गिना जावेगा। छः माह या अधिक की सेवा के भाग को एक वर्ष माना जावेगा और छः माह से कम की सेवा को छोड़ दिया जावेगा।

स्पष्टीकरण - किसी संस्थान के मौसमीय आधार पर नियोजित कर्मचारी के मामले में किसी भी प्रकार की "वास्तविक सेवा" की अवधि को पूरा वर्ष माना जायेगा, बावजूद इसके कि वह सेवा एक वर्ष से कम है।

(बी) "विद्यमान सदस्यों" के मामले में वास्तविक सेवा और "पिछली सेवा" के कुल जोड़ को पात्र सेवा माना जावेगा, परन्तु यदि "पिछली सेवा" की ऐसी कोई अवधि हो, जिसके लिये परिवार पेंशन योजना, 1971 के लिये अंशदान प्राप्त नहीं हुआ हो, उस अवधि तक ही पात्र सेवा गिनी जावेगी यदि उस अवधि के लिये परिवार पेंशन निधि में अंशदान प्राप्त हो गया हो।

स्पष्टीकरण - इस उप पैरा के लिये छः माह से कम की पिछली सेवा को छोड़ दिया जावेगा। छः माह और अधिक की पिछली सेवा को एक वर्ष पूर्ण माना जावेगा।

10. पेंशन योग्य सेवा (पेंशनेबल सर्विस) का निर्धारण - (1) किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा का निर्धारण उसकी तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना के [प्राप्त या प्राप्त किये जाने वाले] अंशदान के आधार पर किया जावेगा।

2. जोड़ें आदि। दिनांक 29.3.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.2.96 से प्रभावी)।

Director (Finance & Technical)
Office of Science & Technology
BHO PAL
अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी सचिव
क.प्र.नि. एवं प्रौ. परिवर्ध

24/10/96
क. प्र. नि. एवं प्रौ. परिवर्ध



(2) उस सदस्य के मामले में, जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और/या जिसने 20 वर्ष या अधिक की पेंशन योग्य सेवा की हो, तो उसकी पेंशन योग्य सेवा 2 वर्ष का लाभ जोड़कर बढ़ा दी जावेगी।

11. पेंशन योग्य वेतन (पेंशनेबल सेलेरी) का निर्धारण— (1) कर्मचारी पेंशन निधि की सेवा छोड़ने की तारीख से पिछले 12 माह की सेवा की अंशदान अवधि के दौरान [किसी भी रूप में प्राप्त [पीसेट आधार सहित] मासिक वेतन का औसत पेंशन-योग्य-वेतन होगा।

(2) औसत मासिक वेतन की गणना के लिये 12 माह की अवधि के दौरान ऐसे मामलों सहित, जिनमें वेतन ने माह के किसी भाग के लिये ही वेतन लिया हो; यदि बिना अंशदान के सेवा की अवधि हो

12 माह की अवधि के कुल वेतन को उन वास्तविक दिनों की संख्या से, जिनके लिये वेतन लिया गया हो, विभाजित किया जावेगा तथा इस प्रकार प्राप्त राशि को 30 से गुणा किया जावेगा।

(3) पेंशन योग्य वेतन अधिकतम रुपये पांच हजार प्रतिमाह तक सीमित रहेगा।

[परन्तु, इस योजना के प्रारम्भ होने की तारीख या जिस तारीख से किसी का वेतन रु. 5,000/- से अधिक हो जाता है, इनमें जो भी पहले हो उस तारीख से, यदि नियोक्ता और कर्मचारी की इच्छा से रु. 10,000/- प्रतिमाह से अधिक के वेतन पर अंशदान दिया जाता है तथा नियोक्ता का 8.33% हिस्सा पेंशन में जमा कराया जाता है तो पेंशन योग्य वेतन उस अधिक वेतन पर आधारित होगा।]

12. मासिक सदस्य पेंशन (मन्थली मेम्बर्स पेंशन) - (1) सदस्य,

(ए) यदि वह 20 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होता है, तो वृद्धावस्था (सुपरएन्युएशन) पेंशन का,

(बी) यदि वह 20 वर्ष या अधिक की पात्र सेवा कर चुका हो और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त होता है या अन्य कारण से नौकरी करना बन्द कर देता है, तो सेवानिवृत्ति पेंशन का,

(सी) यदि वह 10 वर्ष या अधिक, किन्तु 20 वर्ष से कम की पात्र सेवा कर चुका हो तो अल्प सेवा पेंशन का

पेंशनकारी होगा।

(2) नये सदस्यों के मामले में मासिक वृद्धावस्था पेंशन या सेवानिवृत्ति पेंशन, जैसा भी मामला हो, राशि की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जावेगी, यथा—

$$\text{मासिक सदस्य पेंशन} = \frac{\text{पेंशनयोग्य वेतन} \times \text{पेंशन योग्य सेवा}}{70}$$

[xxx]

(3) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो 16 नवम्बर, 1995 को [समाप्त परिवार पेंशन योजना, 1971 का सदस्य था] तथा जो 48 वर्ष की आयु का नहीं हुआ हो, वृद्धावस्था/सेवा निवृत्ति/अल्प सेवा पेंशन प्राप्ति के लिए उपरोक्त (2) के अन्तर्गत निर्धारित

(ए) 16 नवम्बर, 1995 से की गई पेंशन योग्य सेवा के लिये उपरोक्त (2) के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन या रुपये 635/- प्रतिमाह, जो भी अधिक हो;

(बी) नीचे लिखे अनुसार पिछली सेवा का लाभ—

पिछली सेवा का लाभ 16 नवम्बर, 1995 को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देय है

2. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)
3. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा हटाना गया (16.3.96 से प्रभावी)
4. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा जोड़ा गया (16.3.96 से प्रभावी)

Director
of Science & Technology
BHOPAL

अमित श्रीवास्तव
कर्मचारी संरक्षक
प.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद



| पिछली सेवा के वर्ष | वेतन रु. 2500/- प्रतिमाह तक | वेतन रु. 2500/- प्रतिमाह से अधिक |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| (i) 11 वर्ष तक | 80 | 85 |
| (ii) 11 वर्ष से अधिक परन्तु 15 वर्ष तक | 95 | 105 |
| (iii) 15 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम | 120 | 135 |
| (iv) 20 वर्ष से अधिक | 150 | 170 |

के योग के बराबर होगी, जो कि न्यूनतम रुपये 800/- होगी, यदि पिछली सेवा 24 वर्ष की है। यदि पिछली सेवा 24 वर्ष से कम है तो न्यूनतम रु. 450/- प्रतिमाह के रखते हुये उपरोक्तानुसार आंशिक पेंशन व लाभों को आनुपातिक रूप में कम कर दिया जावेगा ;]

[(सी) पिछली सेवा की देय पेंशन आंकने के लिये 16.11.95 के बाद में 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उपरोक्त कालम (2) या कालम (3) के अन्तर्गत, जैसा भी मामला हो, देय लाभ को 16.11.95 के बाद में 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तारीख के बीच की अवधि के लिये टेबल 'बी' में दिये गये गुणक से गुणा किया जावेगा।]

(4) ऐसे कर्मचारी के मामले जो 16 नवम्बर, 1995 को 'XXX' परिवार पेंशन योजना, 1995 के सदस्य था तथा जिसने 48 वर्ष किन्तु 53 वर्ष से कम की आयु पूरी कर ली है, वृद्धावस्था/सेवानिवृत्ति पेंशन -

(ए) 16 नवम्बर, 1995 से की गई पेंशन योग्य सेवा के लिये उप पैरा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पेंशन या रुपये 438/- प्रतिमाह, जो भी अधिक हो,

(बी) उपपैरा (3) में दर्शाये अनुसार पिछली सेवा का लाभ के योग के बराबर होगी, जो कि न्यूनतम रुपये 600/- प्रतिमाह होगी, यदि पिछली सेवा 24 वर्ष है परन्तु यदि यह 24 वर्ष से कम है तो न्यूनतम रुपये 325/- प्रतिमाह के अधीन रहते हुये देय सम्मिलित पेंशन पिछली सेवा के लाभ आनुपातिक रूप से कम होंगे।

(5) ऐसे कर्मचारी के मामले में जो 16 नवम्बर, 1995 को 'XXX' परिवार पेंशन योजना, 1995 के सदस्य था तथा जिसने 53 वर्ष या अधिक की आयु पूरी कर ली हो, वृद्धावस्था/सेवानिवृत्ति पेंशन -

(ए) 16 नवम्बर, 1995 से की गई पेंशन योग्य सेवा के लिये उपपैरा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पेंशन या रुपये 335/- प्रतिमाह जो भी अधिक हो;

(बी) उपपैरा (3) में दर्शाये अनुसार पिछली सेवा का लाभ के योग के बराबर होगी जो कि न्यूनतम रुपये 500/- प्रतिमाह होगी यदि पिछली सेवा 24 वर्ष है परन्तु यदि यह 24 वर्ष से कम हो तो, न्यूनतम रुपये 265/- प्रतिमाह के अधीन रहते हुये देय पेंशन और पिछली सेवा का लाभ आनुपातिक रूप से कम होंगे।

(6) एतदप्रश्चात् यदि विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो, के अलावा उपरोक्त वर्ष लिखित कालम (2) से (5) में उल्लिखित जैसा भी मामला हो, मासिक सदस्य पेंशन, 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तारीख के तत्काल बाद की तारीख से देय होगी, बावजूद इस तथ्य के कि वह सदस्य उस तारीख से ही सेवानिवृत्त हो गया हो या नौकरी करना बन्द कर दिया हो।

3. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा हटाया गया (16.3.96 से प्रभावी)

जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा जोड़ा गया (16.3.96 से प्रभावी)

Director (Finance)
Science & Technology
BHOPLA

प्रमोद के. वर्मा



(7) यदि कोई चाहता है कि उसे 58 वर्ष की आयु के पहले परन्तु 50 वर्ष की आयु के पहले नहीं; दर पर मासिक पेंशन दी जावे तो उसे इसकी इजाजत दी जा सकती है। ऐसे मामलों में पेंशन की दर को [58 वर्ष की आयु से कम आयु के प्रत्येक वर्ष के लिये तीन प्रतिशत] की दर से कम कर दी जायेगी, जो कि अधिकतम 25 प्रतिशत की कमी तक सीमित होगी।

(8) यदि कोई सदस्य वृद्धावस्था आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्ति या अन्यथा नौकरी से अलग होता है जिसके लिये पेंशन प्राप्त की जा सकती है, उस सदस्य को उसके विकल्प के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत ग्राह्य पेंशन दी जावे या आयुक्त द्वारा योजना प्रमाण-पत्र जारी किया जावे, जिसमें नौकरी से अलग होने के समय की, की गई पेंशन योग्य सेवा, पेंशन वेतन और पेंशन की देश राशि का उल्लेख हो। तत्पश्चात् यदि वह इस योजना के अन्तर्गत आवृत्ति संस्थान में नौकरी कर लेता है, तो योजना प्रमाण पत्र में दिखाये अनुसार पहले की सेवा पेंशन योग्यताओं के नये भाग के साथ पेंशन के लिये गिनी जावेगी। इस पैराग्राफ के अन्तर्गत पेंशन के भुगतान प्रारम्भ किये जाने को स्थगित करने वाला सदस्य इस योजना के अन्तर्गत समय-समय पर स्वीकृत परिवर्तित राहत का हकदार होगा :

परन्तु, यदि वह सदस्य इस योजना के अन्तर्गत आवृत्ति योग्य संस्थान में नियोजन प्राप्त नहीं करता परन्तु 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाता है, तो, उसके मामले में प्राप्त अंशदान मासिक पेंशन/संतान पेंशन में परिवर्तित कर दिया जावेगा। ऐसे मामलों में टेबल 'सी' में दर्शायी मात्रा में पेंशन और उसके 25 प्रतिशत हिस्सा से प्रत्येक बच्चे के लिये (दो बच्चों तक) संतान पेंशन की राशि दी जावेगी। यदि कोई विधवा नहीं हो तो पैराग्राफ 16 के प्रावधानों के अधीन रहते हुये, विधवा पेंशन के रूप में दी जा सकने वाली राशि के 75 प्रतिशत की दर से अनाथ पेंशन देय होगी।

[12-ए. मकदीकरण (कम्यूटेशन) का विकल्प - पेंशन का हकदार कोई सदस्य, पैराग्राफ 12 के अन्तर्गत सामान्य रूप से देय पेंशन के बदले में, इस योजना के प्रारम्भ के तीन वर्ष पूर्ण होने पर, उसकी मृत्यु का अधिकतम एक तिहाई तक भुनाने का विकल्प दे सकता है, जिससे कि वह भुनाई गई मासिक पेंशन का सौ-गुणा भुनाई गई पेंशन के मूल्य (पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू) के रूप में प्राप्त कर सके। कृपया पेंशन का मासिक आधार पर पैराग्राफ 13 के अन्तर्गत दिये गये विकल्प के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

स्पष्टीकरण - उदाहरणार्थ यदि पैराग्राफ 12 के अन्तर्गत सामान्य पेंशन रु. 600/- है तथा पेंशन हकदार इस मासिक पेंशन का एक तिहाई भाग भुनाने का विकल्प देता है, तो भुनाई गई राशि (कम्यूटेड वैल्यू) $1/3 \times 600 \times 100 =$ रु. 20,000/- होगी तथा भुनाने का विकल्प देते समय इसका भुगतान कर दिया जावेगा। शेष रु. 400/- मासिक आधार पर भुगतान योग्य पेंशन होगी।]

13. पूंजीगत वापसी के लिये विकल्प - (1) पेंशन का पात्र सदस्य [पैराग्राफ 12-ए के अन्तर्गत पेंशन के मकदीकरण के अधीन रहते हुये यदि ऐसा हो] पैराग्राफ 12 के अन्तर्गत सामान्य रूप से देय पेंशन के बदले में घटी हुई पेंशन लेने तथा निम्नलिखित तीन विकल्पों में से एक के अन्तर्गत पूंजीगत वापसी को चुन सकता है -

2. जी.एस.आर. 124 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)
4. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा जोड़ा गया (16.3.96 से प्रभावी)

Deputy Director (Finance)
Council of Science & Technology
BHOVAL

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद



| क. सं. | विकल्प | देय संशोधित पेंशन | पूँजीगत वापसी के रूप में देय राशि |
|--------|--|--|---|
| 1. | सदस्य के जीवनपर्यन्त संशोधित पेंशन तथा उसकी मृत्यु पर पूँजीगत वापसी। | मूल मासिक पेंशन का 90 प्रतिशत। | सदस्य की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति को मूल मासिक पेंशन का 100 गुणा। |
| 2. | सदस्य के जीवनपर्यन्त संशोधित पेंशन, विधवा के जीवन पर्यन्त या उसके पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक और घटी हुई पेंशन तथा विधवा की मृत्यु/पुनर्विवाह पर पूँजीगत वापसी। | सदस्य को मूल पेंशन का 90 प्रतिशत, उसकी मृत्यु पर विधवा को मूल पेंशन का 80 प्रतिशत। | विधवा की मृत्यु/पुनर्विवाह पर नामांकित व्यक्ति को मूल पेंशन का 90 गुणा। |
| 3. | 20 वर्ष की निश्चित अवधि के लिये पेंशन बावजूद इसके कि उस अवधि में सदस्य जीवित रहता है या नहीं। | 20 वर्ष की निश्चित अवधि के लिये मूल पेंशन का 87.5 प्रतिशत, तत्पश्चात् पेंशन बंद हो जावेगी। | पेंशन प्रारम्भ होने की तारीख से 20 वर्ष की समाप्ति पर पेंशन का 100 गुणा तक को यदि वह जीवित अन्यथा उसके नामांकित व्यक्ति को। |

स्पष्टीकरण 1. दूसरे विकल्प में, यदि [पति या पत्नी] की मृत्यु या पुनर्विवाह सदस्य की मृत्यु पहले हो जाता है तो सदस्य की मृत्यु पर मूल मासिक पेंशन के 90 गुणा के बराबर पूँजी नामांकित व्यक्ति को दी जावेगी।

स्पष्टीकरण 2. तीसरे विकल्प में, यदि 20 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व सदस्य की मृत्यु जाती है तो शेष अवधि के लिये पेंशन नामांकित व्यक्ति को दी जावेगी।

स्पष्टीकरण 3. ऐसे सदस्य के मामले में, जो स्थाई एवं पूर्ण अंगता पेंशन का पात्र है और जहाँ पेंशन उसकी 50 वर्ष की आयु होने से पहले ही प्रारम्भ होनी हो, उन्हें भी विकल्प की सुविधा उपलब्ध होगी, परन्तु ऐसे मामलों में वास्तविक पेंशन। प्रतिशत कम कर दी जावेगी तथा पूँजीगत वापसी को प्रत्येक 1000/- प्रत्येक उस वर्ष के लिये जिससे उसकी आयु पेंशन प्रारम्भ होने के समय 50 वर्ष से कम हो कर दी जावेगी।

स्पष्टीकरण 4. इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिये पैराग्राफ 12-ए के अन्तर्गत भुनाने का विकल्प जाने के मामलों में भुनाने के बाद शेष देय पेंशन मूल पेंशन मानी जावेगी।

(2) उपपैरा (1) के अन्तर्गत सदस्य द्वारा विकल्प इस योजना के प्रावधानों के अनुसार पेंशन के आवेदन पत्र देते समय दिया जा सकेगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। यदि कोई विकल्प नहीं दिया गया हो तो यह माना जावेगा कि सदस्य ने इस पैराग्राफ के अन्तर्गत कोई विकल्प नहीं चुना है तथा उसकी पेंशन पैरा 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जावेगी।

2. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

3. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा जोड़ा गया (16.3.96 से प्रभावी)

Director (Finance)
Ministry of Science & Technology
BHOPL

प्रो. प्रमोद को. धर्मा
सहाय निदेशक



(3) इस पैरा के अन्तर्गत पूंजीगत वापसी किये जाने के बावजूद विधवा/संतान सदस्य की मृत्यु की तिथि के तत्काल बाद की तारीख से इस योजना के पैरा 16 के अन्तर्गत सामान्य विधवा पेंशन/संतान पेंशन/अनाथ पेंशन के पात्र बने रहेंगे।

14. मासिक सदस्य पेंशन का पात्र बनने से पहले ही नौकरी छोड़ने पर लाभ - (1) यदि सदस्य नौकरी छोड़ने या 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने की तारीख जो भी पहले हो, को पैरा 9 में दिए पात्र सेवा पूरी नहीं करता है, तो वह टेबल 'डी' में लिखे अनुसार प्रत्याहरण लाभ का हकदार होगा। यह योजना प्रमाण पत्र का विकल्प दे सकता है, यदि उसने 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है:

परन्तु, विद्यमान सदस्य कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत की गई अपनी पिछली सेवा के लिये टेबल 'ए' के अनुसार प्रत्याहरण एवं सेवानिवृत्ति लाभ को टेबल 'बी' में दिये फैक्टर से गुणा कर आंकी गई राशि अतिरिक्त अंशदान वापसी के रूप में प्राप्त करेगा।

15. सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अपंगता पर लाभ - (1) सदस्य, जो नियोजन के दौरान स्थायी रूप से और पूर्णरूप से अपंग हो गया हो, पैरा 12 के उपपैरा (2) से (5) के अन्तर्गत, जैसा भी लागू हो, पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा, जो कि न्यूनतम रुपये 250/- प्रतिमाह होगी, बावजूद इसके पैराग्राफ 12 के अन्तर्गत पेंशन का हकदार बनने के लिये उसने पेंशन योग्य सेवा नहीं की हो परन्तु पेंशन निधि में कम से कम एक माह का अंशदान दे चुका हो।

(2) ऐसे मामलों में मासिक सदस्य पेंशन स्थाई एवं पूर्ण अपंगता की तारीख की अगली तारीख से शुरू होगी और वह सदस्य के जीवन पर्यन्त जारी रहेगी।

(3) इस पैराग्राफ के अन्तर्गत लाभों के लिये आवेदन करने वाले सदस्य को, यह निर्धारित करने के लिये कि अपंगता के समय जो कार्य वह कर रहा था, उस नियोजन के लिये वह स्थाई रूप से एवं पूर्ण रूप से अक्षम है, जैसा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित करे, वैसी चिकित्सा जांच करवानी होगी।

16. सदस्य की मृत्यु पर परिवार को लाभ - (1) यदि सदस्य की -

(ए) यदि उसने कर्मचारी पेंशन निधि में कम से कम एक माह के लिये अंशदान दे दिया हो और सेवा में रहते हुये, या

(बी) उसे मासिक सदस्य पेंशन का हकदार बनाने योग्य नौकरी करने के पश्चात्, लेकिन 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पूर्व नौकरी छोड़ देने के पश्चात् परन्तु पेंशन का भुगतान प्रारम्भ होने से पूर्वी या

(सी) मासिक सदस्य पेंशन प्रारम्भ होने के पश्चात्,

मृत्यु हो जाती है, तो [परिवार को पेंशन] सदस्य की मृत्यु की तिथि से अगली तारीख से देय होगी।

टिप्पणी - ऐसे मामले, जहां सदस्य ने नौकरी छोड़ने तक 10 वर्ष से कम की पात्र सेवा की हो, किन्तु पेंशन निधि की सदस्यता को बनाये रखता है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मर जाता है, पैरा 12 के उप पैरा (8) के अन्तर्गत तय किये जावेंगे।

(2) (ए) मासिक विधवा पेंशन -

(i) उपपैरा (1) के खण्ड (ए) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो कि सदस्य को, उसकी मृत्यु तिथि पर सेवानिवृत्ति होने पर मिलती, या रुपये 450/- या टेबल 'सी' में दर्शायी राशि, जो भी अधिक हो;

(ii) उप पैरा (1) के खण्ड (बी) में आने वाले मामलों में, मासिक सदस्य पेंशन के बराबर, जो कि सदस्य के नौकरी छोड़ने की तारीख को सेवानिवृत्ति होने पर मिलती या रुपये 250/- प्रतिमाह या टेबल 'सी' में दर्शायी राशि जो भी अधिक हो,

2. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक



प्रो. प्रमोद
सहायक
प्र. विज्ञान एवं

(iii) उप पैरा (1) के खण्ड (सी) में आने वाले मामलों में, सदस्य की मृत्यु की तारीख के देय मासिक सदस्य पेंशन का 50 प्रतिशत के बराबर परन्तु न्यूनतम रुपये 250/- प्रतिमाह होगी।

(बी) मासिक विधवा पेंशन विधवा की मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, तक देय होगी।
टिप्पणी - ऐसे मामलों में जहाँ, दो या अधिक विधवा हो, वरिष्ठतम जीवित विधवा को परिवार पेंशन देय होगी। उसकी मृत्यु पर अगली वरिष्ठतम विधवा, यदि कोई हो, को देय होगी। "वरिष्ठतम" शब्द तात्पर्य विवाह की तारीख से होगा।

(3) मासिक संतान पेंशन - (ए) परिवार की परिभाषा में आने वाली मृतक सदस्य के यदि कोई जीवित संतान हो, वे मासिक विधवा/विधुर के अतिरिक्त मासिक संतान पेंशन के हकदार होंगे।

(बी) मृतक सदस्य की विधवा/विधुर को उप-पैरा (2) (ए) (i) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन की राशि के 25 प्रतिशत के बराबर मासिक संतान पेंशन प्रत्येक संतान के लिये देय होगी, किन्तु मृतक सदस्य के प्रत्येक बच्चे के लिये न्यूनतम मासिक संतान पेंशन रुपये 115/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

[(सी) जब तक कि संतान 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेगी मासिक संतान पेंशन देय होगी।

(डी) मासिक संतान पेंशन अधिकतम दो बच्चों को एक साथ देय होगी और वरिष्ठतम से कम आयु के क्रम में दी जावेगी।

(4) (ए) यदि मृतक सदस्य की कोई जीवित विधवा न हो परन्तु परिवार की परिभाषा में आने वाले बच्चे जीवित हों या विधवा पेंशन देय न हो, तो वे बच्चे उप पैरा (2) (ए) (ii) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन की राशि के 75 प्रतिशत के बराबर मासिक पेंशन के हकदार होंगे, किन्तु प्रत्येक अनाथ लिये न्यूनतम मासिक अनाथ पेंशन रुपये 170/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

(बी) विधवा/विधुर पेंशन स्वीकृत करने के पश्चात् विधवा/विधुर की मृत्यु या पुनर्विवाह की तारीख में बच्चे मासिक संतान पेंशन के बदले में, विधवा/विधुर की मृत्यु/पुनर्विवाह की तारीख के बाद तारीख से मासिक अनाथ पेंशन के हकदार होंगे।

[(सी) मासिक अनाथ पेंशन अधिकतम दो अनाथ बच्चों को एक साथ देय होगी तथा वरिष्ठतम कनिष्ठतम अनाथ बच्चे के क्रम से दी जावेगी।]

(5) (ए) सदस्य जो अविवाहित हो या जिसके कोई जीवित पत्नी/पति और/या पात्र संतान न हो, वह आगे लिखे लाभों को प्राप्त करने के लिये किसी व्यक्ति को नामांकित कर सकता है, किन्तु यदि उसके द्वारा परिवार बना लेने पर, किया गया नामांकन अवैध हो जायेगा। सदस्य की मृत्यु की तारीख पर वह नामांकित व्यक्ति, उप पैरा (2) के खण्ड (ए) के उपखण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत देय मासिक विधवा पेंशन के बराबर मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा।

(बी) यदि मृतक सदस्य ने नौकरी छोड़ने की तारीख तक पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की हो, तो उप पैरा 12 के अन्तर्गत मासिक सदस्य पेंशन का हकदार बनाती किन्तु पैरा 12 के उपपैरा (8) के अन्तर्गत पेंशन योजना की सदस्यता को जारी रखने का विकल्प देता है, तो नामांकित व्यक्ति पैरा 13 के उपपैरा (1) एवं (2) के अन्तर्गत पेंशन के अनुसार पूंजीगत वापसी का हकदार होगा।

[16-ए. पेंशन लाभों की गारंटी - पैराग्राफ 3 के उपपैरा (1) के अन्तर्गत नियोजित द्वारा पेंशन की आवश्यकता की अनुपातना नहीं किये जाने के आधार पर किसी भी सदस्य या लाभ प्राप्त करने वाले

2. बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)
4. बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा जोड़ा गया (16.3.96 से प्रभावी)

Deputy Director
Council of Science & Technology
BHOPL

प्रमोद के. वर्मा



- योजना के अन्तर्गत पेंशन लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा, परन्तु फिर भी उस नियोक्ता योजना के अन्तर्गत उसकी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं किया जा सकेगा।]
17. विकल्प देने पर भुगतान - (1) पैराग्राफ 7 के उपपैरा (1) में संदर्भित कर्मचारी परिवार योजना के मृतक सदस्य के लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 और योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अधिकतम लाभ प्राप्त करेंगे।
- (2) पैराग्राफ 7 के उप पैरा (2) में संदर्भित सदस्यों के लिये यह विकल्प होगा कि वे प्रत्याहरण लाभ, प्राप्त किया हो, की राशि को प्रत्याहरण का भुगतान करने की तारीख से विकल्प देने की तारीख तक प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस लौटाकर इस योजना के अन्तर्गत मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिये इस योजना का सदस्य बनने के लिये विकल्प दे सकेंगे।
- (3) पैराग्राफ 7 के उपपैरा (3) में संदर्भित सदस्य, पिछली अवधि का अंशदान उस पर ब्याज सहित करने पर कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का 1.3.1971 से सदस्य बना हुआ माना जावेगा।]
18. कर्मचारी पेंशन योजना के प्रारम्भ के समय पहले ही नियोजित कर्मचारियों द्वारा जाने वाला विवरण - कर्मचारी पेंशन निधि का प्रत्येक सदस्य, नियोक्ता द्वारा आयुक्त को भेजने के लिये, तत्काल देने के लिये कहने पर, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, अपने बारे में अपने परिवार के बारे में विवरण देगा।
19. अंशदान कार्डों का बनाना - प्रत्येक नियोक्ता, कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने वाले कर्मचारी के सम्बन्ध में अंशदान कार्ड बनायेगा।
20. नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां - (1) प्रत्येक नियोक्ता, इस योजना के प्रारम्भ होने के तीन महीने के अन्दा-अन्तर कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने के हकदार कर्मचारियों की एक समेकित विवरणिका, जिसमें उनका मूल वेतन; रिटैनिंग अलाउन्स, यदि हो, तथा देय खाद्य राहत के नकद मूल्य का ब्यौता भत्ता, जो प्रत्येक कर्मचारी को दिया गया हो, दर्शाते हुये आयुक्त को भेजेगा; परन्तु, यदि कर्मचारी पेंशन निधि का सदस्य बनने का हकदार कोई भी कर्मचारी नहीं हो तो नियोक्ता विवरणिका भेजेगा।
- (2) प्रत्येक माह की समाप्ति से पन्द्रह दिनों के अन्दर-अन्दर पिछले माह में नियोक्ता की सेवायें छोड़ने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक विवरणिका आयुक्त को भेजेगा; परन्तु यदि कोई कर्मचारी पिछले माह में नियोक्ता को सेवायें नहीं छोड़ता है तो नियोक्ता 'शून्य' विवरणिका देगा।
- (3) प्रत्येक नियोक्ता कर्मचारी पेंशन निधि में दिये जाने वाली राशियों के, जो उसके अंशदान के रूप में दिया जावे, उसके खाते केन्द्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों के अनुसार रखेगा तथा नियोक्ता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह कर्मचारी पेंशन निधि से केन्द्रीय बोर्ड के प्राधिकार के अन्तर्गत जैसे स्वीकृत किये जावे, उन भुगतानों को उसके कर्मचारियों को किये जाने में केन्द्रीय बोर्ड को सहायता देगा।
- (4) इस पैराग्राफ में इससे पूर्व लिखी किसी बात के बावजूद केन्द्रीय बोर्ड नियोक्ताओं को आमतौर पर निर्देश दे सकेगा, जैसा वह योजना के लागू किये जाने के लिये उचित समझे, तथा प्रत्येक नियोक्ता यह जिम्मेदारी हागी कि वह उन निर्देशों की पालना करे।
21. नियोक्ता मालिकाना सम्बन्धी विवरण देगा - प्रत्येक कारखाने या अन्य संस्थान, जिस पर

2. बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

H
Deputy Director (Finance)
Ministry of Science & Technology
MOPAL

Smy
अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
स.प्र. एवं प्रौ. परिषद्



24/10/11
प्रो. प्रमोद
महामो
स.प्र. विज्ञान एवं प्रौ.

अधिनियम लागू होता है या एतदपश्चात् लागू किया जावे, का नियोक्ता सभी शाखाओं के मालिकों, कब्जेदारों, निदेशकों, भागीदारों, व्यवस्थापकों या अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों, जो अन्य संस्थान की गतिविधियों पर सर्वोपरि नियंत्रण रखता हो, का विवरण तथा किसी भी सूचना पन्द्रह दिनों के अन्दर, आयुक्त को पंजीकृत डाक से भेजेगा।

22. ठेकेदारों की जिम्मेदारियाँ— प्रत्येक माह की समाप्ति के सात दिनों के अन्दर ठेकेदार मुख्य नियोक्ता को, उसके द्वारा या माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन निधि अंशदान की राशियों का विवरण भेजेगा तथा जैसी मुख्य नियोक्ता द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आयुक्त को भेजना आवश्यक हो, ऐसी अन्य सूचनाएँ भी वह देगा।

23. खाता [संख्याओं] का आवंटन— (1) जहाँ किसी सदस्य को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत कोई खाता संख्या दी गई है या आगे दी जावे, उसे वह योजना के लिये जारी रख सकेगा।

(2) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 से छूट प्राप्त करने के कर्मचारियों के मामले में, जो कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के सदस्य हैं, उन्हें दी गई खातों को जारी रख सकेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना से छूट प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के सदस्य नहीं हैं, परन्तु कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य बनने का विकल्प देता है, उन्हें आयुक्त द्वारा नयी खाता संख्या दी जावेगी।

24. निधि की स्थापना के पश्चात् नियोजन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रेषित प्रपत्र— प्रत्येक नियोक्ता, किसी भी व्यक्ति को अपने यहां नियोजन प्राप्त करने से पूर्व लिखित रूप से अनुरोध करने के लिये कहेगा कि वह पेंशन योजना का सदस्य है या नहीं, और यदि वह है तो पेंशन निधि की उसकी पिछली सेवाओं के लिये आयुक्त द्वारा जारी "योजना प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने के लिये तैयार है। यदि संबंधित व्यक्ति पहले नियोजन में नहीं था या अपनी पिछले नियोजन के लिये अंशदान नहीं दे चुका हो तो, नियोक्ता द्वारा मांगे जाने पर, आयुक्त को भेजे जाने के लिये, केन्द्रीय भविष्य निधि द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अपने बारे में तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में सूचनाएँ देगा।

25. कर्मचारी पेंशन निधि खाता— केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रक्रियानुसार आयुक्त एक खाता खोलेगा जो "कर्मचारी पेंशन निधि खाता" के नाम से जाना जावेगा।

26. कर्मचारी पेंशन निधि का विनियोजन— (1) केन्द्रीय सरकार के अंशदान के अन्तर्गत कर्मचारी पेंशन योजना में प्राप्त सभी धनराशियों कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों के अनुसार विनियोजित की जावेगी।

(2) 16.11.1995 को उपलब्ध परिवार पेंशन निधि की सम्पूर्ण परिसम्पतियाँ पेंशन निधि में विनियोजित जावेगी और भारत सरकार के लोक खाते में विनियोजित रखी जावेगी। 17 नवम्बर, 1995 से पेंशन निधि में केन्द्रीय सरकार से आने वाले अंशदान को भी भारत सरकार के लोक-खाते में विनियोजित जावेगा।

27. निधि का निस्तारण— (1) अधिनियम और इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत पेंशन निधि की, इस योजना में बताये धुगतानों के, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत पेंशन के प्रारम्भ किये जाने से पहले स्वीकृत या 16 नवम्बर, 1995 के पश्चात् उस योजना के अन्तर्गत पेंशन के पहले के उभरे मामले में स्वीकृत परिवार पेंशन, जीवन बीमा लाभ और सेवानिवृत्ति एवं प्रत्याभूति के अलावा अन्य किसी मामले में बिना केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के खर्च नहीं किया जावेगा।

Sanyal
ज्य. निदेशक
कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रौ. परिवर्धन

Joint Director (Finance)
Ministry of Science & Technology
MOPAL

बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रभावी)

प्रो. प्रमोद के. धर्मा
निदेशक



(2) प्रशासनिक खर्चे जो 16 प्रतिशत से अधिक न हों, कर्मचारी पेंशन योजना में से व्यय किये जा सकेंगे। शेष प्रशासनिक खर्चे कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत स्थापित प्रशासनिक खाते से व्यय किये जावेंगे। पेंशन भुगतान का व्यय पेंशन निधि में से खर्चीली किये जावेंगे।

28. प्रशासन-खाता - कर्मचारी पेंशन योजना के समस्त प्रशासनिक खर्चों को लिखने के लिये एक अलग खाता रखा जावेगा, जिसे "कर्मचारी पेंशन प्रशासन खाता" के नाम से जाना जावेगा।

29. खातों के प्रपत्र - कर्मचारी पेंशन योजना के समस्त प्रशासनिक खर्चों को लिखने के लिये एक अलग खाता रखा जावेगा, जिसे "कर्मचारी पेंशन प्रशासन खाता" के नाम से जाना जावेगा।

30. लेखा परीक्षण - भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना को चलाने के प्रशासनिक व्यय सहित कर्मचारी पेंशन निधि के खातों की लेखा परीक्षा की जावेगी।

31. परिलाभों का पूर्णांकन - परिलाभों की प्रत्येक मद निकटतम रुपये में गिनी जावेगी, 50 पैसे से अधिक को पूरा रुपया माना जावेगा तथा रुपये के 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जावेगा।

32. कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन तथा अंशदान तथा पेंशन और अन्य परिलाभों के परिमाण का पुनरावलोकन - [(1) केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्यांकन कर्ता से कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवायेगी;]

परन्तु, केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जैसा उचित समझे ऐसे भिन्न समय पर मूल्यांकन करवा ले।

(2) किसी भी समय यदि कर्मचारी पेंशन निधि इसकी इजाजत दे, केन्द्रीय सरकार इस योजना के अन्तर्गत देय अंशदान की दर या इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध परिलाभों की शृंखला या इन परिलाभों को, दिये जाने की अवधि में परिवर्तन कर सकेगी।

33. पेंशन तथा अन्य परिलाभों का वितरण - केन्द्रीय बोर्ड की अनुमति से आयुक्त, इस योजना के अन्तर्गत पेंशन तथा अन्य लाभों के वितरण के लिये डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक या राजकीय कोष जैसी एजेंसियों से व्यवस्था कर सकेगा। वितरक एजेंसियों को देय कमीशन तथा उसके अन्य खर्चे इस योजना के पैरा 27 में बताये अनुसार वहन किये जावेंगे।

34. रजिस्टर, रिकार्ड आदि - केन्द्रीय बोर्ड की अनुमति से आयुक्त, कर्मचारियों के सम्बन्ध में दिये जाने वाले रजिस्टर तथा रिकार्ड, सदस्य या उसके परिवार के सदस्यों, जो पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, का परिचय प्राप्त करने के उद्देश्य से परिचय पत्र टोकन या डिस्क का प्रपत्र या आकृति तथा पेंशन तथा अन्य लाभ प्राप्त करने के लिये पूरी की जाने वाली खानापूर्ति या उन्हें सावधि स्थापन के बाद जारी करने, जैसा उचित समझा जावे, निर्धारित करेगा।

35. निर्देश देने की शक्ति - पेंशन व अन्य लाभों के वितरण में आने वाली या किसी कठिनाई को सुलझाने के लिये या इस योजना को लागू किये जाने में आने वाली कठिनाई सुलझाने के लिये, केन्द्रीय सरकार जैसा उचित समझे, निर्देश जारी कर सकेगी।

36. क्षेत्रीय समिति - कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 4 के अन्तर्गत स्थापित क्षेत्रीय समिति इस योजना के प्रशासन सम्बन्धी मामलों में, जो समय-समय पर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इसे भेजे जावें, केन्द्रीय बोर्ड को सलाह देगी, विशेष रूप से -

2. जी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.3.96 से प्रयुक्त)

Deputy Director (Finance)
Council of Science & Technology
MOPAL

अखिल इलाहाबाद
कार्यकारी संचालक
राज्यीय पेंशन निधि



प्रो. प्रमोद
म.प्र. विज्ञान

- (ए) अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत छूट प्राप्त कारखाने एवं संस्थानों तथा अधिनियम अन्तर्गत आने वाले अन्य कारखानों और संस्थानों से इस योजना के अन्तर्गत लाभ की वसूली की प्रगति,
 (बी) अदालती दावों के शीघ्र निपटारे,
 (सी) इस योजना के अन्तर्गत पेंशन एवं अन्य लाभों के दावों के शीघ्र निपटारे के माध्यम से

37. वार्षिक रिपोर्ट— केन्द्रीय बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 3 के अन्तर्गत उस योजना के कार्यकलापों की तैयार की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में इस योजना के वित्तीय वर्ष के कार्यकलापों की रिपोर्ट भी शामिल करवायेगा।

38. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के प्रावधानों का लागू होना— ऐसे मामलों के लिये, जिनके लिये इस योजना में या तो कोई प्रावधान नहीं हो या अपर्याप्त प्रावधान हों, तो इस योजना में कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तत्सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

39. पेंशन योजना के लागू होने से छूट— यदि किसी संस्थान के कर्मचारी या तो किसी पेंशन योजना के सदस्य हों या ऐसी पेंशन योजना के सदस्य हों जिसके अन्तर्गत पेंशन लाभ इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों से समान या अधिक हितकर हों, तो समुचित सरकार ऐसी किसी संस्थानों की ऐसी श्रेणी को इस योजना के लागू होने से छूट दे सकती। यदि किसी संस्थान या श्रेणी को इस पैराग्राफ के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है तो, परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत ऐसी संस्थान के कर्मचारियों को उपलब्ध प्रत्याहरण लाभ का भुगतान उस छूट प्राप्त संस्थान के पेंशन को कर दिया जावेगा, कर्मचारी ऐसी सहमति दे। इस पैराग्राफ के अन्तर्गत छूट प्राप्ति का आवेदन संस्थान या संस्थानों की श्रेणी पर क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को (संस्थानों) की पेंशन योजना की एक प्रति और अन्य ऐसे दस्तावेज जो वह चाहे, के साथ प्रस्तुत जावेगी। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उसकी जाँच करेगा। केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अनुमति प्राप्त करके समुचित सरकार को निर्णय के लिये प्रस्तुत करेगा। इस योजना के अन्तर्गत दिये गये छूट के आवेदन का जब तक निपटारा नहीं हो जाता, पैराग्राफ 3 के उपबन्ध में बताये अनुसार नियोक्ता के हिस्से का अंशदान पेंशन निधि में जमा नहीं कराया जावेगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत छूट के आवेदन का निपटारा उसे प्राप्त होने के छः माह के अन्दर-अन्दर या उससे अधिक समय में कारण सहित बढ़ाई गई ऐसी अवधि में कर दिया जावेगा। यदि उल्लिखित समय सीमा में आवेदन का निपटारा नहीं होता है तो आवेदित छूट स्वीकृत किया हुआ माना जावेगा।

स्पष्टीकरण— इस पैराग्राफ के उद्देश्य के लिये छः माह की अवधि उस तारीख से गिनी जावेगी जिसको कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त की संतुष्टि के अनुसार छूट का पूर्ण आवेदन दिया जावेगा।

40. केन्द्रीय सरकार को सूचनाएं भेजना— केन्द्रीय बोर्ड जैसा केन्द्रीय सरकार नियुक्त प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर कर्मचारी पेंशन निधि खाते में आय तथा व्यय के बालANCE के विवरण सरकार को सूचनाएं भेजेगा।

41. व्याख्या— इस योजना के किसी प्रावधान की व्याख्या के सम्बन्ध में जहां कोई मतभेद है, तो उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा जायेगा, जो उसे तय करेगी।

2. बी.एस.आर. 134 दिनांक 28.2.96 के द्वारा प्रतिस्थापित (16.2.96 से प्रभावी)

Director (Finance & Technical)

प्रो. प्रमोद कं. वर्मा
 महानिदेशक
 निर्यात एवं प्रौद्योगिकी परिषद



विवरणिका आदि प्रस्तुत करने में असफल होने पर सजाएं— यदि कोई व्यक्ति—

- (ए) नियोक्ता के अंशदान को सम्पूर्ण या उसका कोई भाग सदस्य के वेतन या अन्य भुगतान से काटता है या काटने का प्रयास करता है; या
- (बी) इस योजना द्वारा आवश्यक विवरणिका, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल होता है या मना करता है या मिथ्या विवरणिका, विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करता है या मिथ्या घोषणा करता है; या
- (सी) अधिनियम या इस योजना के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक या अन्य कर्मचारी को उसके कार्यनिर्वहन में बाधा डालता है या ऐसे निरीक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा निरीक्षण के लिये कोई भी अभिलेख (रिकार्ड) प्रस्तुत करने में असफल होता है, या
- (डी) इस योजना की किसी भी आवश्यकता की अनुपालना नहीं करने या विपरीत आचरण का दोषी है,

एक वर्ष तक बढ़ाये जा सकने वाले कारावास या पांच हजार रुपये तक बढ़ाये जा सकने वाले जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।

13. हत्या के अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को पेंशन का भुगतान— (1) पेंशन निधि के सदस्य की मृत्यु की दशा में पैराग्राफ 12 या पैराग्राफ 16 के अन्तर्गत मृतक की पेंशन प्राप्त करने के लिये उकसाने का अधिकार कोई व्यक्ति यदि सदस्य की हत्या या ऐसा अपराध करने के लिये उकसाने का अभियुक्त हो, उसके पेंशन प्राप्त करने के दावे का निपटारा तब तक निलम्बित रखा जावेगा, जब तक कि उसके विरुद्ध कोई भी अपराधिक कार्यवाही का निर्णय नहीं हो जाता।

(2) पैरा (1) में संदर्भित अपराधिक कार्यवाही के निर्णय पर यदि सम्बन्धित व्यक्ति—

- (ए) सदस्य की हत्या या हत्या के लिये उकसाने का अपराधी पाया जावे, तो वह पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, अपितु वह मृतक सदस्य के परिवार के अन्य सदस्यों को, यदि कोई हो तो देय होंगे; या
- (बी) सदस्य की हत्या करने या हत्या के लिये उकसाने के अपराध से निरपराध पाया जावे तो पेंशन उसे देय होगी।

14. समाप्ति और सुरक्षाएं— (1) इस योजना के प्रारम्भ के साथ ही उसके प्रारम्भ होने के तत्काल तक प्रभावी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 का 16 नवम्बर, 1995 से जारी रहना समाप्त हो जायेगा।


(2) पैराग्राफ (1) में किसी बात के बावजूद कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अन्तर्गत किया गया नामांकन तथा कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के उद्देश्य के लिये कर्मचारी के परिवार की सुरक्षा से सम्बन्धित दिया गया प्रपत्र इस योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत किया हुआ माना जावेगा।


Pranod K. Verma
 प्रो. प्रमोद क. वर्मा
 महानिदेशक
 म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद


[Signature]
 Deputy Director (Finance)
 M.P. Council of Science & Technology
 BHOPAL
 अतिरिक्त श्रीअस्तव
 कर्मचारी सहायक
 म.प्र. वि. एवं प्रौ. परिषद



Schedule – VII


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL


डॉ. प्रदीप कुमार
कार्यकारी सचिव
भारतीय एवं सी. परिषद्


प्रो. प्रदीप कुमार
महानिदेशक
रा.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

WHEREAS:

- (a) The Employer is desirous of making provision for its employees upon their retirement from service at or after a specified age or on their becoming incapacitated prior to such retirement or on termination of service after a minimum period of service or to the Nominees in the event of their death, such provision being made in terms of this Deed and the Rules annexed hereto (hereinafter referred to as 'the Rules') which shall be deemed to form part of these presents.
- (b) It is proposed to set up a non-contributory Group Gratuity Scheme for providing Gratuity benefits and certain sums shall be contributed by the Employer to the Scheme from time to time in accordance with the Rules.
- (c) It is intended that such provision shall, inter alia, be made by the Trustees entering into a Scheme of Insurance with the Life Insurance Corporation of India (hereinafter called 'the Corporation') and that the premiums payable therefor shall be provided by contributions to be made by the Employer.
- (d) The Scheme shall mean M.P Council of Science & Technology Employees' Group Gratuity Scheme' (hereinafter referred to 'The Scheme' or 'The Fund') the operation of which shall be governed by these presents and the Rules.
- (e) The Trustees have at the request of the Employer agreed to act as Trustees of the Scheme in accordance with the terms of these presents and of the Rules and to effect Assurances on the lives of the Members and to hold the same and other funds UPON TRUST.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARES as follows:

Section 1 : Administration of Fund and the Scheme.

Rules

- 1. The Fund shall be governed by the Rules and any references to the Rules in these presents shall mean the Rules for the time being in force which shall be binding on the Employer, the Members and their beneficiaries.

Definitions

- 2. All words and expressions to which special meanings have been given in the Rules shall have the same meanings which they appear in these presents.

Date of Commencement

- 3. The Scheme shall be deemed to have been established and the Rules shall be deemed to have taken effect from the 1st day of March 2000

Trust Irrevocable

- 4. These presents shall constitute a Trust upon, which Trust shall be irrevocable in connection with a trade or undertaking carried on in India and not less than 90% of employees shall be employed in India and no moneys belonging to the Fund in the hands of the Trustees shall be recoverable by the Employer nor shall the Employer have any lien or charge of any description on the Fund.

H. D. Puri
 Deputy Director (Finance & Accounts)
 Trustees,
 Council of Science & Technology,
 Employees Gratuity Fund,
 BHOPAL

Sund
 अखिल श्रीमन्मन्त्रालय
 कर्मचारी कल्याणक
 मन्त्रालय एवं प्रौद्योगिकी परिषद



Amended
 श्री. प्रदीप के. वर्मा
 महाविदेशक
 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

Trust Funds

5. The sums in cash and other assets retained by the Trustees in the Surplus or any other Account as provided for in the Rules and the Master Policy issued by the corporation shall constitute the funds of the Funds and the Trustees shall hold and employ the said funds according to these presents and the Rules. The Trust Fund shall be vested in the Trustees. The Trustees shall have the entire custody, management and control of the Fund and shall decide all difference or disputes which may arise under these presents or under the Rules either as to the interpretation thereof or as to the rights and obligations of the Employer or of the Members or of their beneficiaries and the decision of the Trustees in all cases shall be final and binding on all parties concerned. PROVIDED THAT if the decision has any bearing on the provisions of the Income Tax Act, 1961 or the Income Tax Rules, 1962, it shall be forthwith reported to the Commissioner of Income Tax and if so required by him the Trustees shall review the decision.

Master Policy

6. With the prior approval of the Employer, the Trustees shall have the authority to enter into a Master Policy with the Corporation as may be necessary to provide death-cum-retirement Gratuity to the Employees of the Employer as described in the Rules of the scheme.

Employer to make contribution

7. The Employer agrees to make the contributions to the Trustees as provided in the Rules who shall utilise the same for effecting the aforesaid Master Policy.

Employer to furnish all information and to pay all the expenses of administration of the fund and Scheme

8. The Employer further agrees to furnish to the Trustees all particulars regarding the Members and such other information as may be in it's possession as the Trustees may require for the purpose of effecting the scheme of insurance. All expenses incurred by the Trustees in connection with the administration of the Fund and Scheme including the remuneration of a Secretary or of a person to be employed by the Trustees and the audit fees shall be borne by the Employer. The Employer shall not claim such expenses as deductible expenses in computing its profits and gains of business, for the purpose of Income Tax.

Power to amend the fund

9. The Trustees may at any time by a resolution in writing signed by not less than two of them and with the consent of the Employer in writing as also of the Corporation where any variations have a bearing on the terms and conditions of the Master Policy effected with the Corporation but not otherwise, alter, vary or amend any of the trusts or provision of this Deed and the Rules.

PROVIDED THAT no such alteration or variation shall be inconsistent with the main objects of the Trust hereby created nor shall alteration or variation in any way prejudice the rights or interest of any Member or his Beneficiary.

PROVIDED FURTHER THAT no such alteration or variation shall be made without the prior consent of the Commissioner of Income Tax.

[Handwritten signature]
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund,
K.R.L.H.

[Handwritten signature]
अजित शिवास्व
कार्यकारी सचिव
ए. पी. परिषद



Employer's right to amend the Rules of the Scheme

10 (a) i) The Employer may at any time give notice in writing to the Trustees of its intention to amend the Rules of the Scheme and it shall be lawful for the Employer with the previous approval of the Commissioner of Income Tax, to give effect to such amendments.

PROVIDED THAT no notice is required to be given to the Trustees if the Commissioner of Income Tax requires as a condition for approval of the Scheme any amendment to be made taking effect from the date of commencement of the Scheme.

ii) The amendment shall always have effect from the anniversary of the date of commencement of the Scheme which next follows the date on which the notice has been served on the Trustees. The notice to the Trustees shall be in such form and manner as may be deemed sufficient by the Employer.

Trustees to carry out directions of the Employer

(b) The Trustees shall comply with and carry out all such direction put in writing by the Employer from time to time in relation to any matter with respect to which the Employer has power under this Deed or under the Rules to determine or decide and a certificate from the Employer as to the admission of a Member or as to the death of any Member or his retirement or dismissal from the service of the Employer or as to any other relevant matters shall constitute a good and sufficient authority to the Trustees and shall be conclusive as to all facts stated therein. Every such direction or certification shall be notified to the Trustees in writing signed by any other person authorised in this behalf by the Employer and any such notification purporting to contain the direction or certification as aforesaid shall be a complete protection to the Trustees in respect of any matter therein referred to.

(c) Upon any amendments, alterations or variations being made in the terms and conditions or the basis of computation of Gratuity for the employees of the Employer either by the Employer of its own free will or as a result of any agreement with the employees or otherwise, the said amendments, alterations or variations shall take effect for the purpose of the Scheme immediately and the Trustees shall take appropriate steps to incorporate the said amendments, alterations or variations in the Trust Deed or Rules of the Scheme, as the case may be after securing the prior approval of the Corporation and the Commissioner of Income Tax. The amount of Gratuity and the terms and conditions of its payment shall be as set forth in the Rules.

Payment of Gratuity

11. (a) On behalf of the Employer the Trustees shall provide for the payment of gratuity on termination of service, on death or retirement of the Member or otherwise as provided in the Rules of the Scheme.

Joint Director (Finance)
Council of Science & Technology
BHOPAL

TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology,
Employees Gratuity Fund.

Sanjiv
अजित श्रीवास्तव
संस्था के अध्यक्ष
पद्म श्री एवं प्रौद्योगिकी परिषद



Payment of Benefits

(b) It is expressly provided that all benefits granted by the Fund shall be payable only in India.

Trustees' Liability

12. The Trustees shall not at any time be made liable for any more moneys than shall have actually come into their hands or for any sums exceeding the amount payable under the Master Policy issued by the Corporation under the Rules or for the failure of any Bank Company, Firm or Corporation or for the dishonesty of any clerk or servant or attorney or other person with whom any part of the Trust property may be deposited or be placed in charge or be liable for any acts or defaults other than their own immediate and wilful acts, deeds and defaults. The Trustees shall be entitled to be indemnified by the Employer against all proceedings, costs and expenses occasioned by any claims in connection with the Trust not arising from their wilful negligence or dishonesty, the Trustees shall not be responsible for correctness of calculation or recovery of the contribution payable by the Employer nor shall the Trustees be bound at the request of a member or otherwise to take any proceedings against the Employer for money which such Member may consider should have been paid by the Employer to the Trustees on such Member's Account. It shall not be obligatory on the Trustees to take any legal proceedings against a Co-Trustee for any unlawful act committed by him which leads to a financial loss to the Scheme.

Accounts

13. (a) The Accounts of the Scheme shall be maintained in India and shall contain such particular and in such forms as the Trustees shall think proper and as required by law of all financial transactions of the Scheme.
(b) As Soon as may be after the first day of April in each year, the Trustees shall take a general account of the Assets of the Trust and shall prepare a Receipts and Payments Account showing the receipts, payments, dealings and transaction during the preceding year (terminating on the 31st day of March in such form as is considered suitable by the Trustees.
(c) The Trustees shall appoint auditors who shall have access to all books, papers, vouchers, accounts and documents connected with the Trust and who shall in writing report to the Trustees on the receipts and payments Accounts. A copy of the Audited Accounts shall be furnished to the Employer.

Payment on Member's Infirmary

14. If any member or his beneficiary under the Rules shall in the opinion of the Trustees, be unable by reason of mental incapacity or other cause to manage his affairs, the Trustees may at their discretion arrange that any payment payable to such Member or beneficiary be paid to any other person in whose charge or custody such Member or beneficiary shall be as long as the infirmity lasts and such payment shall be good, sufficient and complete discharge to the Trustees.

Number

Appoi to be i Emple

Retire

Oblig Trust

Meet and

Votii

Deputy Director (Finance)
Council of Science & Technology
EMPLOYEES' GRATUITY FUND

अमित कुमार
काठमाडौं संसद
संविधान परिषद



Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'के. वर्मा' and 'प्रो. वि.'.

SECTION II : PROVISIONS REGARDING TRUSTEES

- Number of Trustees 15. The number of Trustees shall not be less than two and a Company as defined in sub-clause (i) of sub-section (1) of Section 3 of the Companies Act 1956 shall not be appointed as Trustees without the prior approval of the Commissioner of Income Tax.
- Appointment of Trustees to be made by the Employer 16. The power of appointing the Trustees shall be vested in the Employer who shall in making such appointments observe the limitations laid down in these presents and the employer shall also have power to fill up at any time any vacancy in the number of Trustee and to remove a Trustee by giving 7 days' notice in writing to the Trustees at his last known address and to the continuing Trustees. The Employer shall be under no obligation to fill the vacancy occasioned in respect of any Trustee so removed or any other vacancy in the number of Trustees until it shall think fit and so long as the number of Trustees shall not be less than two and pending the filling in any vacancy, the continuing Trustees shall have power to act. A Member of the Scheme can be appointed as a Trustee of the Fund. The Employer shall appoint as Trustees only persons who are in its employment in India.
- Retirement of Trustees 17. (a) A Trustee may retire at any time of giving seven days' notice in writing to the Employer and to the Chairman of the Trustees of his desire to do so.
(b) The Trustees shall be resident in India. The Office of any Trustee shall be vacated if the Trustee being a Director or Partner ceases to be a Director or a Partner. The Trustee being an employee ceases to be in the service of the Employer or if he shall permanently leave India or for reasons of illness or infirmity or mental incapacity shall in the opinion of the other Trustees become incompetent or incapable to act.
(c) In the event of any Trustee ceasing to be a Trustee he shall, if necessary, assign or join in assigning the Master Policy to the continuing Trustees.
- Obligation on outgoing Trustee to assign policy
- Meeting of Trustees and Quorum 18. The Trustees may meet together for despatch of business and adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they may think fit. Two Trustees present at the meeting shall be a quorum.
- Voting at Meeting 19. The Employer shall nominate one of the Trustees to be the Chairman of the Trustees, who shall preside at the meeting of the Trustees. The Employer shall also appoint a Trustee to be an alternate Chairman who shall act in the absence of the Chairman and exercise all the power of the chairman. Each Trustee present at the meeting shall be entitled to one vote on any matter arising thereat and in case of equality of votes the Chairman shall have a second or casting vote.

H
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

Soyt
अभिषेक श्रीवास्तव
कार्यवाही अधिकारी
व्यक्ति एवं प्रौ. परिषद

TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund.



Signature
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद

Decision by Majority 20. All matters considered at the Meeting shall be decided by a majority of votes. The Trustees shall be at liberty to pass a resolution shall be evidenced in writing and passed by majority after being circulated.

Trustees power to appoint a Secretary 21. The Trustees shall have power to appoint any one of the Trustees to act as Secretary of the Fund and the said Secretary may be invested with such powers of management of the Trust as the Trustees may from time to time in their absolute discretion determine. With the consent of the Employer the Trustees shall have power to employ any person or persons to do any legal, accountancy or other work which they may consider necessary or expedient in connection with the management of the Trust or of the assets thereof. It is however provided that no person of the Employer holding directorship shall be paid any remuneration for such service.

Signing of receipts cheques and correspondence 22. All correspondence in relation to the operation of these trusts ay be conducted by the Chairman or in his absence by the alternate Chairman and in the absence of both by a Trustee authorised in that behalf by the Trustees. Receipts for money received may be signed by the Chairman and in his absence by the alternate Chairman and in the absence of both by a Trustee authorised by the Trustees in that behalf. Cheques on the bank account may be drawn and signed by any two of the Trustee on behalf of all the Trustees. The Trustees shall decide which of the Trustees shall operate the Bank Account on their behalf.

Trustees to sign on behalf of Members 23. The Chairman and in his absence the alternate Chairman and in the absence of both, any Trustee authorised in this behalf by a resolution of the Trustee shall sign on behalf of the Members or beneficiaries of the Scheme, as the case may be, all proposals, discharges and receipts as may be required under any policy or policies of assurance effected under the Rules here of as may be necessary for the proper administration of the Trust. The Trustees may in their absolute discretion give authority, which authority shall be in writing only signed by all the Trustees, to give a discharge, receipt or acknowledgment of moneys due under the policy to the member or in the event of his death to his beneficiary.

Absence of a Trustee and power of remaining Trustees 24. If any Trustee or Trustee shall be temporarily absent from India the Trustees who, shall remain in India shall during absence have full powers to act under the Trusts hereof as if they were the only Trustees of these presents.

Investment of Fund Moneys 25. All moneys contributed to the Fund or received or accruing by way of interest or otherwise to the Fund may be deposited in a Post Office Savings Bank Account in India or in a Current Account with any Scheduled Bank or utilised for the purpose of making contributions under a Group Gratuity Scheme entered into with the Corporation and to the extent such moneys as are not so deposited, or utilised shall be invested in the manner prescribed from time to time in the Rules 67 (2) & 101 of the Income Tax Rules, 1962.

[Handwritten signatures and stamps]

TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund,
BHO PAL

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यालय संचालक
एवं प्रौ. परिषद

MPGET
M.P. COUNCIL OF SCIENCE & TECHNOLOGY
EMPLOYEES GRATUITY FUND

Trustees Option to register 26.
securities in the name
of a beneficiary

It shall not be obligatory on the Trustees to cause themselves to be registered as the holders of any securities constituting investments belonging to the Trust and such securities may be subscribed or purchased or held in the name of a Scheduled Bank.

SECTION III - WINDING UP OF THE TRUST FUND

27. (i) The Trustee Fund shall be wound up in the following event:

Upon the winding up or dissolution of the Employer's Trade or under taking as the case may be (unless such winding up or dissolution is for the purpose of amalgamation, reconstitution or reconstruction).

- (ii) For the purpose of the winding up of the Fund, the Trustees shall first realise the value of the Assets of the Fund including the value of the Master Policy held by them and the amounts so realised shall be allocated in the manner described below to the Members who are, in the service of the Employer on the date of winding up of the Fund after meeting the liabilities in respect of the outstanding Claims, if any, pertaining to the Members who ceased to be in the service of the Employer prior to the date of such winding up.

- (iii) The Trustees shall then ascertain the amount of Gratuity accruing and due to all the Members of the Fund according to the provisions of the Rules by reference to the Salary of the Members as on the date of winding up and the length of service completed by them. If the total amount realised in respect of gratuity ascertained as above, the Trustees shall earmark for each Member, the amount of gratuity accrued and due to him under the Rules out of the moneys realised and utilise the excess to provide additional benefits. If the amount so realised is less than the said accrued gratuity, as aforesaid, the total amount shall be allocated to each Member in proportion to his accrued gratuity.

Provided always that the Trustees shall obtain prior approval and subject to such condition as may be imposed by the Commissioner of Income Tax in regard to the arrangements to be made by them for winding up of the Fund.

- (iv) Notwithstanding anything whatsoever stated in the foregoing paragraphs, the Trustees shall have absolute and uncontrolled discretion to consult an Actuary and adopt any other methods or principles for the winding up of the Fund or make such arrangements or enter into such agreements as they may deem fit and shall in the opinion of the Trustees serve as far as may be the wishes of the Members and Beneficiaries, PROVIDED

TRUSTEES,

M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund.

अमित श्रीवास्तव
कर्मचारी सुधारक
संस्थान, एवं प्रौ. परिषद
BHOPAL
M.P. Council of Science & Technology
Deputy Director (Finance & Tech)



THAT any such arrangements or agreement shall be made only after obtaining the prior approval and subject to such condition as may be imposed by the Corporation and Commissioner of Income Tax.

Winding up or Dissolution 28. of the Employer's Establishment for reconstruction

In the event of the Employer's trade and undertaking being wound up or dissolved as the case may be voluntarily or for the purpose of reconstruction, reconstitution or amalgamation with any other Company, Firm or Association the Trustees may make such arrangements or enter into such agreements as they in their uncontrolled discretion shall deem fit for the continuance of the Trust in connection with such dissolution or reconstructed, reconstituted or amalgamated company, firm or association.

PROVIDED ALWAYS THAT no arrangements of agreements under this Clause shall be entered into without obtaining the prior approval and subject to such condition as may be imposed by the Commissioner of Income Tax to make satisfactory arrangements for the payment of gratuity to the existing beneficiaries

Jurisdiction

29: This deed and any variation there to be governed by the Laws of India and the Trust Fund hereof shall always be located in India.

IN WITNESS WHEREOF the parties have hereinto set their hands and

Seal/Stamp on the 1st day of March 2000 first above mentioned.

Signature

प्रो. प्रमोद क. वर्मा
महानिदेशक
स.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

Signature
TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund.

Signature
अजित कुमार
कार्यालय निदेशक
स.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL



The Common Seal/Stamp of M.P Council of Science & Technology

has been hereunto affixed in the presence of Dr. Alha Swaroop under the authority (of the Resolution of the Board of Directors dated _____)

WITNESS:

Signed sealed and delivered by the abovenamed, Shri. Dr. Alha Swaroop one of the Trustees in the presence of Shri K.P. Singh

Signed, sealed and delivered by the abovenamed Shri V.K. Dubey one of the Trustees in the presence of Shri Dr. Alha Swaroop

Signed, sealed and delivered by the abovenamed Shri P. Meghawale one of the Trustees in the presence of Shri V.K. Dubey

Signed, sealed and delivered by the abovenamed Shri K.P. Singh one of the Trustees in the presence of Shri P. Meghawale

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अभिषेक शिवाजीराव
काठमांडौ संसदलक
प्रति एवं प्रौ. परिषद

2/11/62
प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद



Dr. Alha Swaroop
TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology,
Employees Gratuity Fund.

ANNEXURE TO THE TRUST DEED DATED.....

THE RULES (Clause 1)


SECTION -1


DEFINITIONS, ELIGIBILITY & REQUIREMENTS FOR MEMBERSHIP

1. DEFINITION:

In these Rules, where the context so admits the masculine shall include the feminine, the singular shall include the plural and the following words and expressions shall unless repugnant to the context, have the following meanings :-

- i) The Firm/Company shall mean M.P. Council of Science and Technology Bhopal
- ii) The Employer shall mean the Company/The Firm as defined in (i) above and subject to the prior approval of the Commissioner of Income Tax shall include any Firm, Agency or body corporate which may be purchase, amalgamation or otherwise take over the whole or substantially the whole of the business of the Firm/Company and which may enter into a Deed in such a form as the Trustee shall require undertaking to continue the obligation of the Company/Firm under those presents and releasing the Firm/Company from all further liabilities there of.
- iii) "Corporation" shall mean the Life Insurance Corporation of India established under Section 3 of the Life Insurance Corporation Act, 1956.
- vi) "Scheme or Fund" shall mean the M.P. Council of Science & Technology Employees' Group Gratuity Scheme described in these Rules.
- v) "Rules" shall mean the Rules of the Scheme as set out below and as amended from time to time.
- vi) "Trustee" shall mean the Trustees for the time being of the Scheme.
- vii) "Employees" shall mean permanent employees of the Employer other than personal and domestic servants and shall be deemed to include whole time bonafide working directors who do not own beneficially share-holding carrying more than 5% voting rights in the Company.
- viii) "Member" shall mean an employee who has been admitted to the membership of the scheme.
- ix) "Beneficiary" shall mean the wife and/or child or children and/or dependants of the member.
- x) "Effective Date" in relation to the Scheme shall mean the 1.3.00 being the date as from which the Scheme takes effect.
- xi) "Annual Renewal Date" in relation to the Scheme shall be the 1.3.2000 and the 1st day of March in each subsequent Year.
- xii) "Normal Retirement Date" shall mean in respect of each member the date on which he completes the age of 60 years years.


 TRUSTEES,
 M.P. Council of Science & Technology,
 Employees Gratuity Scheme,
 Bhopal.


 M.P. Council of Science & Technology,
 Bhopal.

2. Sche be bi

3.

मो. प्रमोद महारि

मो. परियेद

- xiii) "Service" shall mean continuous service rendered by the Member to the Employer including periods of authorised leave. For the purpose of the Scheme, a period of 6 months and over shall be reckoned as one year.
- xiv) "Anticipated Service" shall mean in relation to a Member who dies while in service before the Normal Retirement Date the service which he would have completed had he lived upto his Normal Retirement Date.
- xv) "Salary" includes Dearness Allowance if the terms of employment so provide but excludes all other Allowances & perquisites. In the case of monthly rated employees, a day's salary will be calculated as 1/26th of the monthly salary.
- xvi) "Entry Date" shall mean (a) in relation to the Original Members the Effective Date and (b) in relation to new members admitted to the scheme after the Effective Date, the Annual Renewal Date which is coincident with or which next follows the date on which they become eligible.
- xvii) Contribution shall mean any sum credited by an employer out of his own money to the individual Account of an Employee but does not include any sum credited as interest.

2. THE TRUSTEES TO ACT FOR THE EMPLOYER AND MEMBERS :

The Trustees will act for and on behalf of the Employer and members in any matter relating to the Scheme and every act done by agreement made with the notice given to the Corporation by the Trustees shall be binding on the Employer and the members.

3. ELIGIBILITY:

- (a) "Permanent Employees who are aged not less than 18 years and not more than 60 years years" shall be eligible to participate in the Scheme.

Handwritten signature

Employees in the above category/categories who are in the service of the Employer on the Effective Date shall join the Scheme as from that date. Present employees who are in the above category/categories on the Effective Date and employees appointed by the Employer after the Effective Date shall join the Scheme on Annual Renewal Date which is coincident with or which next follows the date on which they become eligible.

- (b) No member shall withdraw from the Scheme while he is still an employee with in the category stated above.
- (c) Provided, however, that if an employee leaves the service voluntarily before he attains the specified age of retirement and joins another concern, transfer of his equitable interest from the approved gratuity fund to the gratuity fund of the latter concern is permitted subject to the condition that the said fund is approved under the Act, such equitable interest shall be payable to the concerned employees in addition to the benefits to be accrued under this scheme.

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL
अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी अध्यक्ष
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद



Handwritten signature
TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology,
Employees' Gratuity Fund.

4. EVIDENCE OF AGE:

Evidence of age of every employee satisfactory to the Corporation shall be furnished before he is admitted to the Scheme and if the age of the Member is conclusively proved later to have been incorrectly stated in the evidence submitted, the Corporation shall make appropriate adjustment in the benefits having regard to its normal practice.

5. EVIDENCE OF INSURABILITY :

For the purpose of effecting Term Assurance in respect of the Member, evidence of insurability satisfactory to the Corporation shall be required prior to the employee's entry into the Scheme and on each occasion when an increase in sum assured is to be granted.

SECTION - II

CONTRIBUTION AND SCHEME OF INSURANCE

6. CONTRIBUTIONS :



There shall be paid by the Employer to the Trustees in respect of each Member the Contribution mentioned in sub-paragraph (i) below annually in advance on the date of entry of the Member into the Scheme and on the relevant Annual Renewal Dates and the contributions mentioned in sub-paragraph (ii) below in one lump sum on the date of entry or in not more than five equated annual instalments commencing from the date of entry into the Scheme and the Trustees shall pay the same to the Corporation for providing the gratuity benefits to the Members under a Scheme of Insurance.

- i) Ordinary Annual Contribution : The ordinary annual contributions shall be such amount as shall be determined and recommended by the Corporation within the limits stipulated under Rule 103 of I.T. Rules, 1962 for securing the benefits herein below described. The contribution shall be expressed as a percentage of the salary of each member and may be varied from time to time on the basis of an evaluation of the benefits to be made at intervals of not more than Three Years. The contributions will be paid throughout the future service of the members unless specified otherwise in the Rules.
- ii) Initial Contribution : The Employer may pay any sums by way of initial contributions in respect of Members relating to their past service with the Employer as shall be determined and recommended by the Corporation within the limits stipulated under Rule 104 of I.T. Rules 1962 for securing the benefits relating to such past services and on paying such sums shall advise the Trustees as to their allocation to all or specified members.

Provided that the contributions payable by the Employer in any year in respect of any member in terms of sub-paragraph (i) above shall not exceed 8 1/3% of the salary, paid to the member during the year and that the initial contribution referred to in sub-paragraph (ii) above shall not exceed 8 1/3% of the salary paid to the member for each year of his past service with the Employer. Provided further that if the contributions are not sufficient to secure full benefits as described below the benefits will be appropriately scaled down.

7. SCHEME OF INSURANCE :

- i) The Trustees shall enter into a Scheme of insurance with the Corporation for providing the benefits to the members. Subject to the provisions of Rule 5, an Assurance will be effected on the life of each member under One year Renewable Term Assurance Plan for a sum assured equal to the difference between (a) fifteen days' salary as on the date of entry into the Scheme


 TRUSTEES,
 M.P. Council of Science & Technology Employees Gratuity Fund.

 Deputy Director अजित शीवास्त्व
 Council of Science & Technology Employees Gratuity Fund
 BHOPAL
 एच. प्रो. परिषद



or the Annual Renewal Date as the case may be for each year of his Anticipated Service Subject to a maximum of Rs. 3,50,000 and (b) fifteen days' salary as on the date of entry into the Scheme or the Annual Renewal Date, as the case may be, for each year of service subject to a maximum of Rs. 3,50,000 provided that the Corporation may, in the case of any member restrict the sum assured for which the assurance is to be effected to a smaller amount on the basis of the evidence of health submitted in respect of that Member. The assurance will be renewed on the Annual Renewal Dates for appropriate sums assured.

- ii) After appropriating the required amounts towards the premium payable year to year for the life assurance benefit and the administrative expenses, if any, of the Corporation, the balance of the Contributions will be held by the Corporation in the running account for the credit of the Trustees. The Corporation will allow interest on the balances remaining in the above mentioned running account for each financial year ending 31st March at a rate to be determined by the Corporation at the close of the year.
- iii) When gratuity becomes payable to a member on his retirement or cessation of service, or to his Beneficiary in the event of his death, the Corporation shall pay to the Trustees the benefits payable according to the Rules out of the balance in running account and also under the Term Assurances in case of death.

SECTION - III

BENEFITS

8. BENEFITS ON RETIREMENT AT OR AFTER NORMAL RETIREMENT DATE, EARLY RETIREMENT DUE TO ILL-HEALTH AND DEATH WHILE IN SERVICE AFTER NORMAL RETIREMENT DATE

Upon retirement of a member on or after Normal Retirement Date or upon death whilst in service after Normal Retirement Date or upon retirement owing to ill-health or incapacitation, the benefits payable will be equal to fifteen days' salary for each completed year of service, subject to a maximum of Rs. 3,50,000.

9. BENEFITS ON DEATH BEFORE NORMAL RETIREMENT DATE :

Upon the death of a member whilst in service before Normal Retirement Date the benefits payable will be equal to fifteen days' salary as on the date of death for each year of his Anticipated Service, subject to a maximum of Rs. 3,50,000. Provided that in respect of a member for whom the Term Assurance effected in terms of Rule 7 is insufficient to provide the above stated benefits, the benefit payable will be equal to the total of:

- i) the sum assured under the Term Assurance on the date of death; and
- ii) fifteen days' salary for each year of service up to the date of death subject maximum of Rs. 3,50,000.

10. BENEFITS ON LEAVING SERVICE :

Upon a member leaving the service of the Employer after completion of five years of service the benefits payable will be equal to fifteen days' salary as on the date of leaving service for each year of service, subject to a maximum of Rs. 3,50,000. The member will not be entitled to any benefits if he leaves the service before completing five years of service.

11. FORFEITURE OF GRATUITY :

- (a) Gratuity shall be wholly forfeited in case to termination of service of the member (i) for riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part or (ii) for any act which constitutes an offence involving moral turpitude provided such offence is committed by him in the course of his employment.

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
द.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद

TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology,
Employees Gratuity Fund



- (b) In case of termination of service for any act, wilful omission or negligence of the member causing any damage or loss or destruction of property belonging to the Employer gratuity payable under the Scheme shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused.
- (c) The gratuity forfeited in the aforesaid manner or otherwise shall remain in the running account only held by the Corporation to the credit of the Trustees and shall be utilised in the payments of the gratuity to the eligible employees.
12. The gratuity payable in respect of any member under the Scheme shall be paid only in a lump sum.

SECTION IV

MISCELLANEOUS PROVISIONS

13. RESTRAINT ON ANTICIPATION OR ENCUMBRANCE:

The benefits assured under the scheme are strictly personal and cannot be assigned, charged or alienated in any way.

14. Except as provided in these Rules, no member or his Beneficiary shall have any legal claim, right or interest in the Scheme. PROVIDED ALWAYS THAT the Trustees shall administer the Scheme for the benefit of the members and their Beneficiaries in accordance with the provisions of these Rules.

15. JURISDICTION :

The Master policy issued under the scheme shall be an Indian contract subject to the laws of India, the Income Tax Act, 1961 the Payment of Gratuity Act, 1972 and to any legislation subsequently introduced. All benefits under the Scheme shall be payable only in India. Should anything contained in these Rules, or in any amendment made there of be repugnant to any provision or provisions of the Income Tax Act, 1961, or the Income Tax Rules 1962, it shall be in-effective to the extent of such repugnance. Any such repugnance shall be removed by the Trustees if so directed by the Commissioner of Income Tax.

16. MASTER POLICY :

The Corporation will issue a single Master Policy to the Trustees to provide for the benefits to the members under the Scheme.

17. INCOME TAX AND OTHER TAXES :

- (a) In any case where the Corporation or the Trustees are liable to account to the Income Tax Authorities for Income tax on any payment made under the Rules, the Corporation or the Trustees as the case may be shall deduct a sum equal to such tax from any such payment made and shall not be liable to the members for the sum so deducted.
- (b) If the Gratuity Fund and Scheme for any reason cease to be approved by the Commissioner of Income Tax, the Trustees shall nevertheless remain liable to tax on any benefits paid to a Member or his Beneficiary.

18. APPOINTMENT OF BENEFICIARY/IES NOMINEE/S

- (a) Every Member shall appoint one or more of his wife, child/children or dependants as Beneficiary or Beneficiaries under the Rules to receive the benefits hereunder in the event of his death. If a member dies whilst in service the Trustees shall hold the benefits in force under the Assurances on his life UPON TRUST for payment to the Beneficiary or Beneficiaries as shall have been appointed by the Member in accordance with the remaining paragraphs of this Rule.

TRUSTEES,

Council of Science & Technology,
Employees Gratuity Fund.

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी लेखाधिकारी
एम्.पी.सी. परिसर



Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology,
BHO PAL

19.

into
the
four
the
rev

Th
Be

- (b) Every appointment made under this Rule shall be in writing signed by the Member and attested by two witnesses and shall be according to the form of nomination as given in Appendix (1) hereto and shall remain in full force and effect until the death of the Beneficiary or until the same shall be revoked in writing by the Member and a fresh appointment made in the manner aforesaid.
- (c) A member may from time to time or at any time without the consent of the Beneficiary change the Beneficiary by filling a written notice of the change to the Trustees in the prescribed form satisfactory to the Trustees whereupon an acknowledgement of the change and the registration of the name of the new Beneficiary will be given to the Member by the Trustees. The new appointment shall take effect on the date the notice was signed whether or not the Member is living on the date of acknowledgement of the change without prejudice to the Corporation or the Trustees an account of any payment made before the acknowledgement of the change.
- (d) If a Beneficiary shall at the time of his appointment be a minor or otherwise under disability to give a legal receipt or discharge to the Trustees the Member must at the time of such appointment as aforesaid, appoint a person of full age who is capable of giving a legal receipt or discharge to the Trustees and to whom the benefits are to be paid for and on behalf of such Beneficiary.
- (e) If more than one Beneficiary is appointed and in such appointment the Member has failed to specify their respective interests, the Beneficiaries so named shall share the benefits equally. If the Beneficiary predeceases the Member, the interest of such Beneficiary shall terminate and his share shall be payable equally to such of the remaining Beneficiaries as survive the Member unless the Member has made written request otherwise to the Trustees in the prescribed form.
- (f) If a Beneficiary is not appointed the benefits shall be paid to the Members wife, failing which to his child/children in equal shares, failing which to his dependants in equal shares. If the member does not leave a wife, child/children or dependants, than the benefits shall be realised by the Trustees and credited to the Running Account, and shall be utilised for payment of Gratuity to the eligible employees.

19. INTERPRETATION OF RULES:

It shall be a condition of membership of the Schemes that on any question arising on any point of interpretation of these Rules or any point relating to admission of new Members and cessation of Membership, the decision of the Trustees shall be final. If the decisions has any bearing on the provisions of part C of the fourth Schedule of the Income Tax Act, 1961, or the Rules made thereunder it shall be forthwith reported to the Commissioner of Income Tax and if the Commissioner of Income Tax so requires, the Trustees shall review the decision.

Deputy Director (Finance)
Council of Science & Technology
BHOPAL

21/11/62

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
न.प्र. विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी परिषद

and on behalf of the Trustees
TRUSTEES

M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund.

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
न.प्र. विद्यालय एवं प्रौद्योगिकी परिषद


Employees's Group Gratuity-cum
-Life Assurance Scheme (C.A.)


The specimen of the Form of Nomination/Appointment of Beneficiary is annexed hereto as Annexure II.


TRUSTEES,
M.P. Council of Science & Technology
Employees Gratuity Fund.



Schedule – VIII


Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL


श्री. प्रसाद
कार्यकारी सहायक
म.प्र. एवं प्रौ. परिषद्


प्रो. प्रमोद के. शर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्

मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
विज्ञान भवन, साइंस हिल्स, नेहरू नगर, भोपाल

76

भवन आवंटन नियम वर्ष 2009-10

परिषद् के मुख्यालय परिसर, गौतम नगर, अंजता कैम्पस अथवा अन्य स्थानों पर स्थित भवनों के लिए निम्नलिखित आवास आवंटन नियम प्रतिस्थापित किये जाते हैं।

1. भवन का प्रकार एवं आवंटन हेतु आर्हताएं

आवासों की उपलब्धता अनुसार परिषद् द्वारा समय-समय पर आवास आवंटन हेतु सूचना जारी की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में प्राप्त आवेदनों के आवेदनकर्ता के पदक्रम की वरीयता अनुसार पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए आवास आवंटन पर विचार किया जायेगा। किराये की गणना शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार परिषद् में भी प्रभावशील होगी। पाँचवे वेतनमान के अनुसार दरें निम्नानुसार हैं-

परिषद् मुख्यालय कैम्पस (मध्यप्रदेश का नियम 45 ए अनुसार)

| क्र. | टाईप | श्रेणी | लायसेंस शुल्क | रिमार्क |
|------|------------------|--------|---------------|--|
| 1 | महानिदेशक आवास | बी | | महानिदेशक के लिए आरक्षित, सुसज्जित एवं निशुल्क आवास की पात्रता होगी। |
| 2 | डॉयरेक्टर बंगलों | डी | रु. 850/- | मूल वेतन रु. 12,750-18,399/- |
| 3 | एचआईजी | ई | रु. 700/- | मूल वेतन रु. 10,000-12,749/- |
| 4 | एमआईजी | एफ | रु. 425/- | मूल वेतन रु. 6,500-9,999/- |
| 6 | एलआईजी | जी | रु. 300/- | मूल वेतन रु. 4,500-6,499/- |

गौतम नगर कैम्पस

| क्र. | टाईप | श्रेणी | किराये की दर | रिमार्क |
|------|----------|--------|--------------|----------------------------|
| 1 | ब्लॉक-ए | एफ | रु. 425/- | मूल वेतन रु. 6,500-9,999/- |
| 2 | ब्लॉक-बी | एफ | रु. 425/- | |

अंजता काम्पलेक्स

| क्र. | टाईप | श्रेणी | किराये की दर | रिमार्क |
|------|-------|--------|--------------|----------------------------|
| 1 | अंजता | एच | रु. 150/- | मूल वेतन रु. 3,050-4,999/- |

नोट:

- डॉयरेक्टर बंगलों का आवंटन उस वर्ग के आवेदन न आने की स्थिति में आवेदक वरिष्ठता के आधार पर प्रथम संवर्ग के अधिकारियों को अस्थायी तौर पर समिति अनुशंसा अनुसार आवंटन किया जा सकेगा।
- परिषद् आवासीय परिसर/गेस्ट हाऊस/नव निर्मित बैठक/सेमिनार सभागृह/कलासरूम आदि के रख-रखाव एवं व्यवस्था हेतु प्रभारी अधिकारी (वार्डन) को उनकी पात्रता अनुसार परिषद् का निशुल्क आवास दिया जायेगा, परन्तु उन्हें गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करने की

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHOPAL

अंजता कैम्पस
कार्यालय
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



2. आंवटन की प्रक्रिया:

| टाईप | श्रेणी | आवेदन प्राप्तकर्ता | आंवटन हेतु अधिकृत अधिकारी |
|--------------------|--------|--------------------|---------------------------|
| डायरेक्टर बंगलो | डी | महानिदेशक | महानिदेशक |
| एचआईजी | ई | महानिदेशक | महानिदेशक |
| एमआईजी | एफ | कार्यकारी संचालक | कार्यकारी संचालक |
| एलआईजी | जी | कार्यकारी संचालक | कार्यकारी संचालक |
| अंजता आवासीय परिसर | एच | कार्यकारी संचालक | कार्यकारी संचालक |

आवास आंवटन समिति

आवास श्रेणी डी एवं ई हेतु निम्न समिति रहेगी:-

- कार्यकारी संचालक - अध्यक्ष
- संयुक्त संचालक (प्रशासन) - सदस्य
- वार्डन/आवासीय परिसर - सदस्य
- सहायक संचालक (प्रशासन) - सदस्य सचिव

आवास श्रेणी एफ, जी एवं एच हेतु निम्न समिति रहेगी:-

- संयुक्त संचालक (प्रशासन) - अध्यक्ष
- उप संचालक (प्रशासन) - सदस्य
- वार्डन/आवासीय परिसर - सदस्य
- अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) - सदस्य सचिव

उक्त समितियाँ आवास आंवटन आवेदनों का परीक्षण करेगी तथा नियमानुसार आंवटन हेतु अपनी अनुशंसायें आवास आंवटन हेतु सक्षम/अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

3. आरक्षण:

कतिपय श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में आंवटन

- अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को उनकी पात्रतानुसार विहित श्रेणी के आवासों के आंवटन एक 'आंवटन वर्ष' में 5 प्रतिशत कोटा निर्धारित।
- विकलांग कर्मचारी जो विकलांग भत्ता प्राप्त कर रहे हैं, अथवा विकलांगता प्रमाण पत्र विकलांग प्रौद्योगिकी परिषद के/कर्मचारी के लिए परिषद् आवासों के आंवटन 'एक आंवटन वर्ष' में 2 प्रतिशत का कोटा निर्धारित रहेगा।
- कैंसर एवं क्षय रोग से ग्रसित परिषद् के अधिकारी/कर्मचारी को एक आंवटन वर्ष में 2 प्रतिशत कोटा निर्धारित है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के परिषद् सेवकों को सामान्य पूल के प्रतिवर्ष रिक्त होने वाले 'ई' श्रेणी के आवासों में 5 प्रतिशत 'जी' श्रेणी के आवासों में 10 प्रतिशत 'एच' श्रेणी के आवासों में 15 प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र. वि. प्रौद्योगिकी परिषद्



- पारी के बाहर (विवेकाधीन) आवंटन की महानिदेशक को शक्तियां— परिषद एक कैलेण्डर वर्ष में रिक्त होने वाले, परिषद के आवासों की संख्या का 5 प्रतिशत तक के रिक्त आवासों को विवेकाधीन कोटे के अंतर्गत निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार आवंटित किये जा सकेंगे।

—मानवीय आधार पर एवं विवेकानुसार

सेवा निवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवक के निकट संबंधी शासकीय सेवक को आवास आवंटन

- निकट संबंधी— पति/पत्नी, पुत्र/पुत्र वधु, अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री।
- पति अथवा पत्नी में से कोई एक परिषद की सेवा में हो तो उन्हें पात्रतानुसार पूर्व आवंटित आवास अथवा पात्र श्रेणी का आवास आवंटित किया जा सकेगा।
- पुत्र एवं पुत्र-वधु में से परिषद की सेवा में कार्यरत पुत्र को वरीयता दी जाएगी। यदि पुत्र कार्यरत नहीं हो तो परिषद की सेवा में कार्यरत पुत्र-वधु का पात्रतानुसार परिषद का आवास आवंटित किया जा सकेगा।
- यदि सेवा निवृत्त/दिवंगत परिषद सेवक अथवा उसके उपरोक्त निकट संबंधियों में से किसी एक का निजी मकान भोपाल नगर निगम क्षेत्र में स्थित हो तो उन्हें इस नियम के अधीन आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी।
- तदर्थ दैनिक वेतन, कंटेजेंसी, संविदा पर नियुक्त कर्मियों का आवास आवंटन की पात्रता नहीं होगी।

लायसेंस शुल्क

- परिषद के जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शासकीय/परिषद आवास आवंटित है और उनके स्वयं के अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई निजी मकान पदस्थापना वाली जगह में नहीं है तो उनसे किराया मूल नियम 45-ए की अधीन लिया जायेगा।
- परिषद के जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदस्थापना वाली जगह पर स्वयं उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम निजी मकान है तो उनसे किराया शासकीय/परिषद आवास का किराया वसूल किये जाने बाबत नियम 45-बी (45-ए से दुगुना) के अधीन लिया जायेगा।

परिषद/शासकीय आवास धारण करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के भोपाल नगर निगम सीमा के भीतर स्वयं के नाम से अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम से मकान है, उनसे परिषद आवास का किराया वसूल किये जाने बाबत

भोपाल स्थित परिषद आवास आवंटित करने हेतु ऐसे कर्मचारी/अधिकारी जिनका भोपाल नगर निगम सीमा के अंदर स्वयं का अथवा परिवार के किसी सदस्य का आवास है तो उनसे परिषद आवास का लायसेंस शुल्क शासन के मूल नियम 45-बी (45-ए से दुगुना) के अंतर्गत निर्धारित दर से वसूल किये जाने बाबत

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी सचिव
वि. एवं प्रौ. परिषद

Handwritten signature



इन नियमों के अनुसार लायसेंस शुल्क वसूल नहीं होने के कारण गृह विभाग ने अपने ज्ञापन क्रमांक एफ 1-1/2005/दो/ए(3) दिनांक 4-01-2005 तथा 23-03-2005 द्वारा सभी विभागों को इन नियमों का कठोरता से पालन करने के निर्देश जारी किये हैं। जो इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। जो इस तथ्य को छुपायेगा उसे आवास पात्रता से वंचित भी किया जा सकता है।

सामान्य शर्तें

- तीन माह का नोटिस देकर कभी भी परिषद् आवास को रिक्त कराने का अधिकार महानिदेशक में निहित होगा।
- परिषद् की सेवा से सेवा निवृत्ति होने पर शासकीय नियमानुसार आवास में रहने की पात्रता होगी।
- परिषद् आवास आवंटित होने के बाद इंप्लॉई को गृह भाड़ा भत्ते की पात्रता नहीं होगी तथा निर्धारित शुल्क परिषद् को दिया जाना बंधनकारी होगा।
- आवंटित परिषद् आवास को स्वयं के निवास हेतु उपयोग किया जायेगा किराये पर नहीं दिया जायेगा और न ही अवांछनीय गतिविधियां व व्यावसायिक/करोबार किया जायेगा।
- परिषद् आवास की सुरक्षा, साफ-सफाई एवं दैनिक आवश्यक रख रखाव का दायित्व परिषद् का नहीं होगा आवंटि द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- परिषद् आवास आवंटित करने नहीं करने एवं आवास आवंटन निरस्त करने का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार महानिदेशक को होगा तथा ऐसे निर्णय को परिषद् के सभी कर्मियों को मान्य करना बंधनकारी होगा।
- परिषद् के आवंटन नीति एवं परिषद् द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करना सभी आवंटियों को मान्य करना बंधनकारी होगा अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- परिषद् की आवास आवंटन नीति में यदि कोई नियम स्पष्ट नहीं हैं अथवा नियम मौन हैं तो ऐसी स्थिति में शासन के नियम प्रभावशील होंगे।

(डॉ. राकेश आर्या)
वरि. संसाधन अध्यक्ष

(डॉ. अनिल खरे)
वरिष्ठ वैज्ञानिक (वार्डन) समन्वयक

(दिलीप घोरमारे)
वैज्ञानिक सदस्य

(एम. पी. निगम)
उप संचालक (प्रशासन) सदस्य

(के. पी. सिंह)
अनुभाग अधिकारी (मंडार) सदस्य

Deputy Director (Finance)
M.P. Council of Science & Technology
BHO PAL

प्रो. प्रमोद के. वर्मा
महानिदेशक
म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्



अजित श्रीवास्तव
कार्यकारी संचालक
म.प्र.वि. एवं प्रौ. परिषद्